उत्तर प्रदेश के आसवनी

उद्योगों के रूपांतरण की अभूतपूर्व यात्रा

UP DISTILLERS' ASSOCIATION
UPDA
Celebrating 40 Years
1983 2023

UPDA KNOWLEDGE REPORT

(Hindi Version)

जुलाई 2023

Submitted under a friendly initiative of Arcus Policy Research

सर्वाधिकार सुरक्षित।

इस रिपोर्ट का कोई भी भाग कॉपीराइट धारक(ओं) और/या प्रकाशकों से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना, पुनरुत्पादित नहीं किया जाएगा, पुनर्प्राप्ति प्रणाली में संग्रहीत नहीं किया जाएगा, या इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग, या अन्यथा किसी भी माध्यम से प्रसारित नहीं किया जाएगा।

UPDA

देखने के लिए स्कैन करें

Contents...

आभार 5

प्रमुख बिंदु 6

उत्तर प्रदेश – भारतीय मानचित्र पर चमकता सितारा 6

उत्तर प्रदेश का ऐल्कोहॉल–पेय मदिरा और एथेनॉल उद्योग – राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर के शीर्ष पर 6

राज्य की ऐल्कोहॉल–पेय मदिरा की अद्भुत विकास यात्रा में UPDA के 4 दशकों का योगदान 6

परिचय 11

अनुभाग 1: उत्तर प्रदेश: एक आर्थिक महाशक्ति 13

उत्तर प्रदेश की वृद्धि दर, भारतीय वृद्धि दर से भी अधिक तीव्र है 13

तृतीयक क्षेत्र राज्य की सफलता के नए आयाम लिख रहा है; और विनिर्माण क्षेत्र भी ज्यादा पीछे नहीं है 13

ऐल्कोहॉल युक्त पेय मदिरा के उत्पादन में उत्तर प्रदेश एक अग्रणी राज्य हैं 15

उत्तर प्रदेश का शक्ति केंद्र: इसका जनसांख्यिकीय विभाजन 18

उत्तर प्रदेश की श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी, 4 वर्ष में दोगुनी हुई 18

ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस रैंकिंग में उत्कृष्टता 19

देश के उत्पाद शुल्क राजस्व संग्रह चार्ट में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है 21

अनुभाग 2: उत्तर प्रदेश का ऐल्कोहॉलिक पेय मदिरा क्षेत्र 22

उत्तर प्रदेश में ऐल्कोहॉल उत्पादन का नया कीर्तिमान बना 23

राजकीय उत्पाद शुल्क राजस्व में सर्वोच्च वृद्धि 24

राज्य में आसवन क्षमता का विस्तार 25

ऐल्कोहॉल युक्त पेय मदिरा के निर्यात में बढ़ोत्तरी 27

अनुभाग 3: उत्तर प्रदेश के आसवनी उद्योग की वृद्धि में UPDA का महत्त्वपूर्ण योगदान 29

UPDA का चार दशकों का सफ़र 30

उत्तर प्रदेश और UPDA द्वारा सृजित किए गए कीर्तिमान 34

UPDA के सदस्यों द्वारा की जाने वाली कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी गतिविधियां 35

आगामी गतिविधियों की रूपरेखा 38

UPDA का विज़न 39

ग्रंथ सूची 41

परिशिष्ट भारत में डिस्टिलरी स्थापित करने के लिए आवश्यक कानूनी अपेक्षाएं और प्रमाणन 43

भारत में डिस्टिलरी यूनिट शुरू करने के लिए कानूनी अपेक्षाएं 43

आभार

हम उन उद्योग जगत के उन प्रमुख प्रतिनिधियों का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं जिनके कारण यह UPDA नॉलेज रिपोर्ट साकार हो सकी। उनके सहयोग, मार्गदर्शन और बहुमूल्य योगदान ने आसवनी उद्योग में उत्तर प्रदेश के पुनरुत्थान पर आधारित इस रिपोर्ट को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

हम उत्तर प्रदेश डिस्टिलर्स एसोसिएशन के महासचिव श्री रजनीश अग्रवाल के प्रति अपनी गहन कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। उनके उत्साह, व्यापक ज्ञान और व्यावहारिक टिप्पणियों की प्रेरक चर्चाओं से हमारी शोध यात्रा को शुरुआत से ही ऊर्जा प्राप्त होती रही।

UPDA के सम्मानित अध्यक्ष श्री एस.के. शुक्ला और UPDA के उपाध्यक्ष श्री मनीष अग्रवाल को विशेष रूप से धन्यवाद। इस रिपोर्ट को तैयार करने में उनके नेतृत्व और गहन अंतर्दृष्टि की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

हम UPDA संरक्षक सदस्यों के योगदान को भी अभिस्वीकृत करते हैं। उनसे मिले सहयोग और उद्योग जगत के डेटा की प्राप्ति से हमें इस व्यापक रिपोर्ट को तैयार करने, इसकी सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आधार प्राप्त हुआ।

इसके लिए अपना समय, ज्ञान और अंतर्दृष्टि साझा करने वाले सभी लोगों के कृपापूर्ण सहयोग के लिए हमारी ओर से उनका हार्दिक आभार। आपके सामूहिक प्रयासों ने इस ज्ञान रिपोर्ट को समृद्ध बनाया, जिससे हम आसवनी उद्योग में उत्तर प्रदेश की असाधारण यात्रा का एक मनमोहक और संक्षिप्त विवरण देने में सक्षम हो सके।

प्रमुख बिंदु

उत्तर प्रदेश – भारतीय मानचित्र पर चमकता सितारा

- उत्तर प्रदेश (यूपी) जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है, इसे देश में अनाज के भंडार के रूप में भी जाना जाता है, जहां विविधीकृत कृषि और एक बड़ा उपभोक्ता आधार मौजूद है। राज्य की जनसंख्या 23 करोड़ है, जो देश के उपभोक्ता आधार में 16% का प्रभावशाली भाग है।
- 1 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करना राज्य का लक्ष्य है और इसने राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर उल्लेखनीय व्यावसायिक विशिष्टताएं हासिल की हैं।
- यूपी इन्वेस्टर्स समिट 2018, जो कि राज्य सरकार की ओर से एक बड़ी पहल थी, इसमें 660 करोड़ डॉलर मूल्य वाले 1045 से अधिक MOU (समझौता ज्ञापन) हस्ताक्षरित किए गए। हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में 10000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसके फलस्वरूप 790 करोड़ डॉलर मूल्य के 1300 से अधिक MOU हस्ताक्षरित किए गए।
- उत्तर प्रदेश ने हाल के वर्षों में ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस में सुधार लाने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य ने कई सुधार लागू किए हैं जिससे व्यवसायों को शुरू करना, चलाना और विस्तार करना सुगम हो गया है। फलस्वरूप, उत्तर प्रदेश 185 सुधारों को लागू करके ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस के मामले में दूसरे स्थान पर (2020 तक के अनुसार) पहुंच गया है।

उत्तर प्रदेश का ऐल्कोहॉल–पेय मदिरा और एथेनॉल उद्योग – राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर के शीर्ष पर

- 2022 में 7 अरब लीटर से अधिक के उत्पादन के साथ, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा ऐल्कोहॉल उत्पादक बन गया।
- 'ब्रांडेड देशी शराब' क्षेत्र जो कि राज्य के उत्पाद शुल्क राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान देता है, यह 2017–18 में 3.5 करोड़ केस प्रति वर्ष से

बढ़कर 2022–23 में 9.1 करोड़ केस प्रति वर्ष हो गया है। 2023–24 में 10.0 करोड़ केसों (लगभग 450 करोड़ यूनिट) के लक्ष्य के साथ 160% की रिकॉर्ड वृद्धि।

- उत्तर प्रदेश से ऐल्कोहॉल युक्त पेय मदिरा के कुल निर्यात में 155% की बढ़ोत्तरी देखी गई है, जो 2017–18 में 29.278 करोड़ लीटर से बढ़कर 2021–22 में 74.353 करोड़ लीटर हो गया है।
- उत्तर प्रदेश की उत्पाद शुल्क राजस्व प्राप्तियों में 140% की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है जो 2017–18 में रु 17320 करोड़ से 2022–23 में रु 41252 करोड़ होने के साथ 19% की CAGR से बढ़ रही है। इसकी तुलना में कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे मुख्य गन्ना उत्पादक राज्यों का उत्पाद शुल्क राजस्व संग्रह समान समय अवधि में क्रमशः 10.66% और 11.33% की CAGR से बढ़ा है।
- एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम केंद्र सरकार की एक सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। यह एक गर्व का वि ाय है कि उत्तर प्रदेश की आसवनियों ने 2018–19 में केवल 6517.53 ऐल्कोहॉलिक लाख लीटर के मुकाबले 2022–23 में 15367. 89 ऐल्कोहॉलिक लाख लीटर का उत्पादन किया है, जो 135% अधिक है। मई, 23 तक उत्तर प्रदेश राज्य ने भारतीय औसत 11.66% के विरूद्ध सबसे अधिक 11.93% ब्लेंडिंग का रिकार्ड कीर्तिमान स्थापित किया है।
- उत्तर प्रदेश में ऐल्कोहॉल का कुल उत्पादन 2017–18 में 89.664 करोड़ लीटर से बढ़कर, 2021–22 तक दोगुना होकर 176.727 करोड़ लीटर हो गया है। यह पांच वर्ष की अवधि में 20% CAGR की शानदार बढ़ोत्तरी है। 2017–18 में 28% की वार्षिक वृद्धि दर के साथ वार्षिक आधार पर सर्वश्रे ठ वृद्धि दर हासिल की गई है।
- महिलाओं की श्रम शक्ति में भागीदारी 4 वर्षों में दोगुनी हो गई है। जहां पूरे भारतवर्ष में यह 2017–18 में 23.3% से बढ़कर 2021–22 में 32.8% हो गई है, जिसकी वृद्धि दर्ज 40% है, उसके सापेक्ष उत्तर प्रदेश की महिला श्रम शक्ति भागीदारी 2017–18 में 13.5% से बढ़कर 2021–22 में 26.3% हो गई है।
- उत्तर प्रदेश में कुल 85 आसवनियां पहले से ही संचालित हैं, जिनमें से 40 पेय संवर्ग में हैं और 40 से अधिक प्रस्तावित हैं। 2017–18 में कुल 61 आसवनियां थीं, जिनमें से 20 पेय संवर्ग में थीं। यह पेय संवर्ग में 100% की वृद्धि है।

U.P STATE (DISTLLERY SECTOR) GROWTH IN LAST 6 YEARS

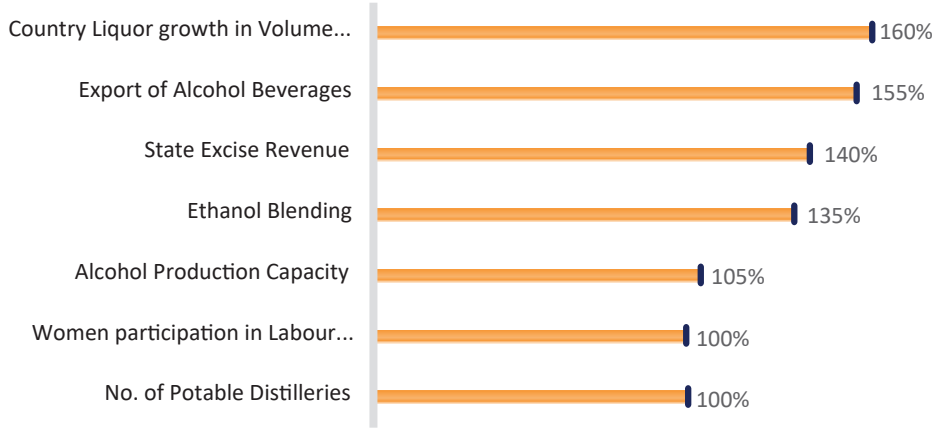

- उत्तर प्रदेश आसवनियों की ऐल्कोहॉल उत्पादन क्षमता 2017–18 में 1700 करोड़ लीटर के स्तर से, वार्षिक आधार पर 40% उत्पादन वृद्धि के साथ 100% से अधिक बढ़कर 3480 करोड़ लीटर हो गई है।

राज्य की ऐल्कोहॉल–पेय मदिरा की अद्भुत विकास यात्रा में UPDA के 4 दशकों का योगदान

- उत्तर प्रदेश डिस्टिलर्स एसोसिएशन, आसवनी उद्योग की एक शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करती है, जिसके 13 विशिष्ट सदस्य हैं।
- ब्रांडेड देशी शराब का वार्षिक उत्पादन लगभग 10.0 करोड़ केस ~ 4.5 करोड़ यूनिट पैक। यह विशाल आंकड़ा संभवतः एक विश्व रिकॉर्ड है। UPDA की सदस्य आसवनियों द्वारा 90% से अधिक का उत्पादन, एसोसिएशन के लिए अभूतपूर्व गौरव की बात है।
- नीति निर्माताओं के लिए पक्षसमर्थन की अपनी भूमिका के माध्यम से सदस्यों और राज्य/केंद्र सरकार के अधिकारियों के बीच UPDA, एक समन्वय की भूमिका निभाती है। एसोसिएशन प्रचार, संरक्षण, विरोध और विधायी उपायों का सुझाव देने में सक्रिय भागीदारी करती रहती है।

- अपने प्रकार की एक पहल में UPDA, सरकार के महत्वाकांक्षी एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की गति बढ़ाने वाली नवीनतम तकनीकों और कच्चे माल के प्रबंधन को बढ़ावा देने के साथ अब किसानों की आय को बढ़ाने के लिए नवीनतम मक्का के उत्पादन की योजना बना रही है।
- वैश्विक क्षेत्र में अपना प्रसार करते हुए, 2022 में UPDA का एक प्रतिनिधिमंडल ब्राजील गया था। अमेरिका में मक्के की खेती और एथेनॉल का उत्पादन विश्व में सर्वाधिक होता है, इसलिए UPDA ने इन प्रमुख क्षेत्रों में नवीन तकनीकी जानकारियों के उद्देश्य से भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से यूएस ग्रेन काउंसिल के साथ इसकी पहल की है इससे आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश में, गन्ने की उन्नतिशील प्रजाति के साथ और उन्नतिशील पैदावार और एथेनॉल के उत्पादन को श्रे ठतम स्तर पर पहुंचाया जा सके, जिसका लाभ क्षेत्र के किसानों को भी प्राप्त हो सके।
- आगे बढ़ते हुए, UPDA जैव–ईंधन क्षेत्र और अनाज आधारित आसवनियों पर प्रारंभिक फोकस के साथ, निवेश और प्रौद्योगिकियों को लाने के लिए एक इंटरफेस और सहयोगी बनने के रूप में 'इन्वेस्ट इंडिया' के साथ सहयोग करने की प्रक्रिया में है।
- UPDA की सदस्य आसवनियां, समाज के कल्याण के लिए व्यापक CSR पहल करने की दिशा में निरंतर और सक्रियतापूर्वक सम्मिलित हैं। उनमें स्वच्छता, पेयजल, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, कोविड महामारी की कठिन अवधि के दौरान ऑक्सीजन संयंत्रों के लिए सहयोग, ग्रामीण उत्थान, तथा और भी बहुत–कुछ सम्मिलित हैं।

परिचय

ऐल्कोहॉलिक पेय मदिरा के क्षेत्र ने, विश्व भर के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं में कर राजस्व, निवेश, रोजगार और निर्यात में बढ़ोत्तरी के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है (जकोवल्जेविक और अन्य, 2017)। वैश्विक ऐल्कोहॉल युक्त पेय मदिरा बाजार का आकार 2023 में 160.9 करोड़ USD का है और 2023 और 2027 (स्टेटिस्टा) के बीच 5.42% की CAGR से बढ़ने की आशा है। भारतीय ऐल्कोहॉल युक्त पेय मदिरा बाजार का आकार 2023 में 4958.0 करोड़ USD का है और 2023 और 2027 (स्टेटिस्टा) के बीच 6.53% की CAGR से बढ़ने का अनुमान है। भारतीय ऐल्कोहॉल पेय मदिरा क्षेत्र उत्पादन और वितरण गतिविधियों में प्रत्यक्ष भागीदारी के माध्यम से लगभग 0.15 करोड़ नौकरियां उत्पन्न करता है (सुंदरराजन और अन्य, 2019)।

प्रायः ऐल्कोहॉल युक्त पेय मदिरा दो प्रकार की होती हैं, अर्थात, अनडिस्टिल्ड और डिस्टिल्ड। अनडिस्टिल्ड ऐल्कोहॉल वाली पेय मदिरा को फर्मेन्टेड पेय मदिरा भी कहा जाता है। वाइन और बीयर इसी श्रेणी में आते हैं। फर्मेन्टेशन के बाद डिस्टिलेशन किया जाता है, जिसमें फर्मेन्टेड पदार्थ में मौजूद पानी और अन्य घटकों से ऐल्कोहॉल निकालकर उसे गाढ़ा किया जाता है। लिकर और स्पिरिट, ये डिस्टिल्ड ऐल्कोहॉल पेय मदिरा के उदाहरण हैं। इनमें ऐल्कोहॉल की मात्रा अनडिस्टिल्ड पेय मदिरा से अधिक होती है। ऐल्कोहॉल युक्त पेय मदिरा को उनके ABV (मात्रा के अनुसार ऐल्कोहॉल) के आधार पर अलग–अलग किया जा सकता है। प्रायः, बीयर में 5% – 7% ABV होता है और वाइन में यह प्रायः 5% से 23% के बीच होता है। डिस्टिल्ड स्पिरिट जैसे कि जिन, व्हिस्की, लिकर, वोदका, एब्सिन्थ आदि में प्रकार के आधार पर एबीवी की मात्रा 28% से 60% तक होती है (Alcohol.org)। एथेनॉल और पानी, ऐल्कोहॉल युक्त पेय मदिरा के प्राथमिक तत्व होते हैं, लेकिन फलों के कंसेंट्रेट, जौ, राई, आलू, कसावा आदि का भी ऐल्कोहॉल पेय मदिरा में संघटकों के रूप में उपयोग किया जाता है। उपयोग किए गए संघटकों में अंतर, उत्पाद को अलग बनाने में मदद करता है (मुखर्जी और अन्य, 2021)।

ऐल्कोहॉल उद्योग में निवेश के लिए उत्तर प्रदेश एक आकर्षक प्रदेश है। राज्य में कई प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है जिनमें गन्ना, चावल, मक्का, जौ, गेहूं आदि सम्मिलित हैं जो कि ऐल्कोहॉल उत्पादन के लिए वैकल्पिक संसाधनों के रूप में काम कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश में ऐल्कोहॉल का एक बड़ा और बढ़ता हुआ उपभोक्ता बाजार है। आय में बदलाव के कारण उपभोक्ता की पसंद में बदलाव के साथ, उच्च गुणवत्ता वाली ऐल्कोहॉल और ऐल्कोहॉल युक्त पेय मदिरा की एक विस्तृत श्रृंखला की मांग बढ़ रही है।

1983 में अपनी स्थापना के बाद से, उत्तर प्रदेश डिस्टिलर्स एसोसिएशन (UPDA) आसवनी उद्योग का गौरव बनी रही है। 2023 में अपनी चार दशकों की उत्कृष्टता को रेखांकित करते हुए एक महत्वपूर्ण कीर्तिमान कायम करते हुए UPDA बेजोड़ अग्रणी के रूप में प्रतिष्ठित है। गुणवत्ता और नवप्रवर्तन के प्रति इनकी अटूट प्रतिबद्धता ने उत्पाद शुल्क, प्रदूषण, उद्योग, कराधान और श्रम सहित राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से आधिकारिक मान्यता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश में लगभग 90 आसवनियां पहले से ही चल रही हैं और 33 अन्य आसवनियां प्रस्तावित हैं, UPDA के सदस्यों को, ब्रांडेड देशी शराब का 90% से अधिक उत्पादन करने का गौरव हासिल हैं।

इस रिपोर्ट में, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ऐल्कोहॉल युक्त पेय मदिरा उद्योग पर चर्चा की गई है। यह रिपोर्ट तीन अनुभागों में विभाजित है। अनुभाग 1 में, उत्तर प्रदेश और इसके वृहद आर्थिक परिदृश्य पर चर्चा की गई है। प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्र की वृद्धि और राज्य के GVA में उनके योगदान की तुलना, भारत की GVA की विकास दर से भी की गई है। इसके साथ ही लैंगिक सशक्तिकरण के संदर्भ में सामाजिक प्रगति पर भी बात की गई है. अनुभाग 2 में, उत्तर प्रदेश के ऐल्कोहॉलिक पेय मदिरा क्षेत्र पर चर्चा की गई है। इस अनुभाग में, समय के साथ ऐल्कोहॉल पेय मदिरा क्षेत्र के प्रदर्शन, राज्य द्वारा अर्जित उत्पाद शुल्क राजस्व, उत्तर प्रदेश में ऐल्कोहॉल निर्यात के लिए किए गए कुल उत्पादन, और भारत में डिस्टिलरी इकाई शुरू करने के लिए कानूनी अपेक्षाओं पर चर्चा की गई है। और अंत में, अनुभाग 3 में, राज्य में ऐल्कोहॉलिक पेय मदिरा क्षेत्र के विकास में उत्तर प्रदेश डिस्टिलर्स एसोसिएशन (UPDA) की भूमिका और उनके उद्देश्यों, ऐल्कोहॉलिक पेय मदिरा क्षेत्र में UPDA के चालीस वर्ष की यात्रा, उनके द्वारा की गई CSR गतिविधियों और उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण पर एक वृहद चर्चा भी की गई है।

अनुभाग 1

उत्तर प्रदेशः एक आर्थिक महाशक्ति

उत्तर प्रदेश की वृद्धि दर, भारतीय वृद्धि दर से भी अधिक तीव्र है

उत्तर प्रदेश 2027 (TIE 2023) तक 1 ट्रिलियन USD की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। वित्त वर्ष 2022–23 में, भारत के सकल उत्पादन मूल्य (GVA) में लगभग 8.14% (MOSPI) की हिस्सेदारी के अपने योगदान के साथ उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। पिछले कुछ वर्षों में, राज्य में कुल GVA में बढ़ोत्तरी हुई है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य में सकल मूल्यवर्धन रु. 11235 लाख करोड़ (2011–12 स्थिर मूल्य)। 2016–17 से 2021–22 की समयावधि में, राज्य में GVA में प्रति वर्ष 4.9% की बढ़ोत्तरी हुई है। यह इसी अवधि में औसत भारतीय वृद्धि दर 4.7% प्रति वर्ष से कुछ अधिक है।

चित्र *1* में उत्तर प्रदेश और भारत की स्थिर कीमतों पर GVA की वार्षिक आधार पर वृद्धि दर प्रदर्शित है।

चित्र 1: उत्तर प्रदेश और भारत की GVA (स्थिर मूल्य) की वार्षिक वृद्धि दर (%)

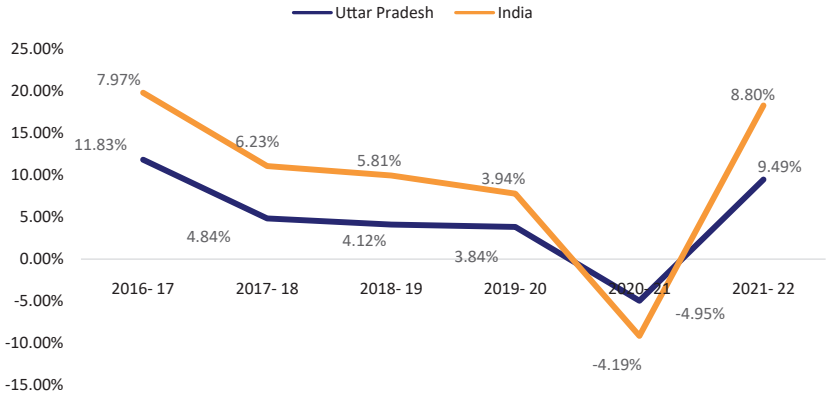

स्रोत– MoSPI, भारत सरकार

तृतीयक क्षेत्र राज्य की सफलता के नए आयाम लिख रहा है; और विनिर्माण क्षेत्र भी ज्यादा पीछे नहीं है

नीचे तालिका ***1*** में, 2021–22 को समाप्त त्रिवार्षिक अवधि में उत्तर प्रदेश में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्र की बढ़ोत्तरी और संघटन प्रदर्शित है।

तालिका 1: उत्तर प्रदेश TE 2021–22 में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्र की बढ़ोत्तरी और संरचना (%) वार्षिक विकास दर (%)

	TE 2021–22 (%)		वार्षिक विकास दर (%)	
वस्तुएँ	वर्तमान कीमतें	स्थिर कीमतें	वर्तमान कीमतें	स्थिर कीमतें
कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन	26.15	22.11	9.91	3.67
प्राथमिक	27.43	24.11	10.06	4.25
विनिर्माण	11.84	14.10	10.10	7.65
निर्माण	10.47	11.07	7.61	3.72
माध्यमिक	24.74	26.73	9.14	5.58
तृतीयक	47.83	49.16	10.27	5.76
मूल कीमतों पर कुल GVA	100.00	100.00	9.87	5.21

स्रोत– राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, MoSPI

वास्तविक सकल मूल्य वर्धित (GVA) के संदर्भ में, तृतीयक क्षेत्र उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो TE 2021–22 के लिए औसतन 49.16% भाग है। इसका अर्थ यह है कि राज्य का लगभग आधा GVA तृतीयक क्षेत्र से आता है और यह प्रति वर्ष 5.76% की दर से बढ़ रहा है (2011–12 से 2021– 22), जो कि तीनों क्षेत्रों में सबसे अधिक विकास दर है। तृतीयक क्षेत्रों की बढ़ोत्तरी का मुख्य प्रेरक हवाई परिवहन क्षेत्र प्रतीत होता है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 6 हवाई अड्डे संचालित हैं, जो लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, कुशीनगर, गोरखपुर और कानपुर हैं, और राज्य में मुरादाबाद, चित्रकुट, श्रावस्ती, आज़मगढ़, अयोध्या, जेवर, बरेली और अलीगढ़ में आगामी परियोजनाएं प्रस्तावित हैं (DGCA)। 2023–25 की समयावधि में हवाई पट्टियों के उन्नयन और हवाई अड्डों के विकास

के लिए उत्तर प्रदेश ने नागरिक उड्डयन में 2307 करोड़ रुपये का निवेश किया है (इन्वेस्ट इंडिया)।

वायु परिवहन के बाद, सड़क परिवहन तृतीयक क्षेत्र में दूसरी सबसे अधिक बढ़ोत्तरी प्रदर्शित करता है। सड़कों की लंबाई 3.25% की CAGR से बढ़ रही है। 2021 में, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 11831 किलोमीटर पंजीकृत थी, जो भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई का लगभग 9% थी (हैंडबुक ऑफ स्टेटिस्टिक्स फॉर इंडियन स्टेटस)।

आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र पर भी समुचित ध्यान दिया गया है। 2021–22 में युवा तकनीकी सशक्तिकरण की पायलट परियोजना के अंतर्गत टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए गए और 2022 में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 5 वर्षों के भीतर 2 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है (राज्य का बजट 2023)।

उत्तर प्रदेश घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। राज्य में पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी हुई है। 2022 में उत्तर प्रदेश में कुल 24. 87 करोड़ घरेलू पर्यटक और 4.10 लाख अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आए, जो भारत में कुल विदेशी पर्यटकों के आगमन का 7% है (PIB 2023)। 2020 में, घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने वाले शीर्ष दस राज्यों में, तमिलनाडु के बाद उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर था, जिसमें कुल घरेलू पर्यटकों (पर्यटन मंत्रालय) का 13.46% भाग सम्मिलित था। भारत में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष दस राज्यों के बीच तीसरे स्थान पर है, जो 2020 में भारत के कुल विदेशी पर्यटकों का 12.41% भाग था। गोरखपुर–देवीपाटन, जेवर–दादरी–नोएडा–खुर्जा और गोवर्धन के क्षेत्रों में एक आध्यात्मिक परिपथ की स्थापना भी प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में पर्यटन स्थलों के विकास के लिए रु. 300 करोड़ रुपये आवंटित किए गए (राज्य बजट 2023)।

राज्य ने स्टार्टअप पर भी पर्याप्त ध्यान दिया है। भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप रैंकिंग के अनुसार उत्तर प्रदेश को ''इंस्पायरिंग लीडर'' के खिताब से सम्मानित किया गया है (PIB 2022)। पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि और ऊर्जा क्षेत्र

आदि क्षेत्रों में स्टार्टअप को प्रोत्साहित किया गया है। उत्तर प्रदेश, उद्यमिता को सक्रियतापूर्वक बढ़ावा दे रहा है और युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए सशक्त बना रहा है। इन्क्यूबेटर्स की सहायता करने के लिए, सीड फंड हेतु रूपए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है. वर्तमान में, राज्य में 7,200 स्टार्टअप और 50 इन्क्यूबेटर्स हैं। उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति (2020) के अंतर्गत 60 करोड़ रुपये का बजट आवंटन अनुमन्य किया गया है। नीति की समाप्ति (अर्थात, 2025) तक कम से कम 10,000 स्टार्टअप स्थापित करना, राज्य का लक्ष्य है (राज्य बजट 2023)।

ऐल्कोहॉल युक्त पेय मदिरा के उत्पादन में उत्तर प्रदेश एक अग्रणी राज्य हैं

उत्तर प्रदेश में तृतीयक क्षेत्र के बाद इसका द्वितीयक क्षेत्र 5.58% प्रति वर्ष (स्थिर मूल्य) की वृद्धि दर के साथ दूसरा सबसे अधिक बढ़ने वाला क्षेत्र है।

(तालिका ***1***)। अर्थव्यवस्था के वास्तविक GVA में इस क्षेत्र का भाग 26.73% है। द्वितीयक क्षेत्र में, उत्पादन क्षेत्र में सबसे अधिक बढ़ोत्तरी हुई है और यह द्वितीयक क्षेत्र को आगे बढ़ाने वाला प्रमुख कारक है जिसका अर्थ है कि ऐल्कोहॉल युक्त पेय मदिरा क्षेत्र सबसे अधिक वृद्धिशील क्षेत्र है।

हैंडबुक ऑफ स्टेटिस्टिक्स फॉर इंडिया स्टेटस के अनुसार, उत्तर प्रदेश में कारखानों की संख्या 2015–16 से बढ़ रही है और 2019–20 में दर्ज किए गए कारखानों की संख्या 16184 यूनिट थीं जो उस वर्ष कारखानों की संख्या के मामले में पांचवीं सर्वाधिक है। 2019– 20 में, देश में तमिलनाडु में सबसे अधिक कारखाने हैं और गुजरात में दूसरे सबसे अधिक कारखाने हैं। लेकिन उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में कारखानों की वार्षिक औसत वृद्धि दर, गुजरात के बाद दूसरे स्थान पर है और भारत में प्रति वर्ष कारखानों की औसत वृद्धि दर (1.36%) की तुलना में उत्तर प्रदेश (AAGR 1.72%) अग्रणी है।

चित्र ***2*** में, 2015–16 से 2019–20 तक उत्तर प्रदेश में कारखानों की बढ़ती संख्या प्रदर्शित है।

चित्र 2: उत्तर प्रदेश में कारखानों की संख्या

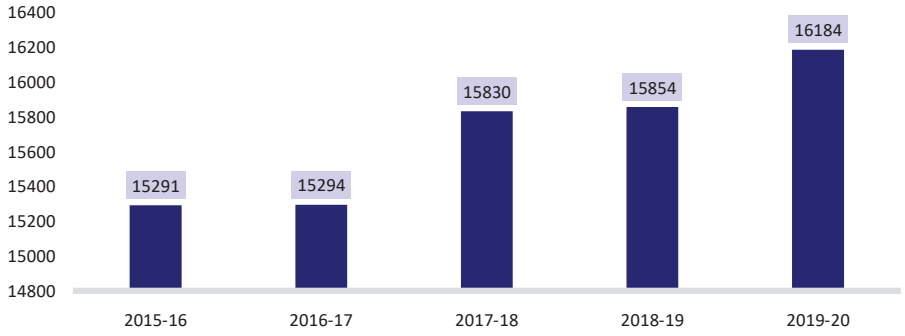

स्रोत– हैंडबुक ऑफ स्टेटिस्टिक्स फॉर इंडियन स्टेटस, RBI

विद्युत क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र का अगला महत्वपूर्ण प्रेरक है। 2021–22 में राज्य की स्थापित विद्युत क्षमता, भारत की कुल स्थापित क्षमता का 7.3% है, जो देश में ''छठी'' सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश ने विद्युत व्यवस्था के संबंध में विभिन्न नीतियां शुरू की हैं। राज्य के बजटीय भाषण के अनुसार, जिला मुख्यालयों को 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों को 20– 22 घंटे तथा ग्रामीण क्षेत्रों को 18– 20 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए रोस्टर निर्धारित किया गया है। 5 वर्षों की अवधि में 22000 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना का कीर्तिमान हासिल करना उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, 2022 का लक्ष्य है।

वास्तविक GVA में 24.11% हिस्सेदारी के साथ, प्राथमिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तीसरे स्थान पर है

(तालिका ***1***)। वास्तविक संदर्भ में यह क्षेत्र 4.25% की दर से बढ़ रहा है। 2,40,928 वर्ग किमी (DEZ 2019– 20) के क्षेत्रफल के साथ, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 7% कवर करते हुए, उत्तर प्रदेश राजस्थान (10.41%), मध्य प्रदेश (9.38%) और महाराष्ट्र (9.36%) के बाद चौथा सबसे बड़ा राज्य है। यह राज्य, अधिकतर अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर प्राकृतिक संसाधन आधार और कृषि–जलवायु परिस्थितियों से संपन्न है। 2019–20 में उत्तर प्रदेश का सकल सिंचित क्षेत्र 23 लाख हेक्टेयर है, जिसमें भारत के सकल सिंचित क्षेत्र का

20.48% और भारत की शुद्ध सिंचित भूमि का लगभग 19% सम्मिलित है (DES 2019–20)। गन्ना, कपास, गेहूं, आलू, अरहर, चना आदि उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं, उत्तर प्रदेश देश में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है (DES 2019–20)। अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय के अनुसार, उत्तर में कुल फसली क्षेत्र 2709 हजार हेक्टेयर है जो भारत के कुल फसली क्षेत्र का 12.83% है। उत्तर प्रदेश का शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, भारत के शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का 11.70% है (DES 2019–20)।

भारत की तुलना में, उत्तर प्रदेश के प्राथमिक क्षेत्र की वास्तविक वार्षिक औसत विकास दर (AAGR) पूरे भारत के प्राथमिक क्षेत्र से आगे पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश के द्वितीयक क्षेत्र की वास्तविक AAGR भारत के समान है। भारत के तृतीयक क्षेत्र के AAGR ने उत्तर प्रदेश की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है (चित्र 3)।

चित्र 3: उत्तर प्रदेश और भारत के क्षेत्रों की वार्षिक औसत विकास दर (%) और GVA (स्थिर कीमतों पर) की तुलना

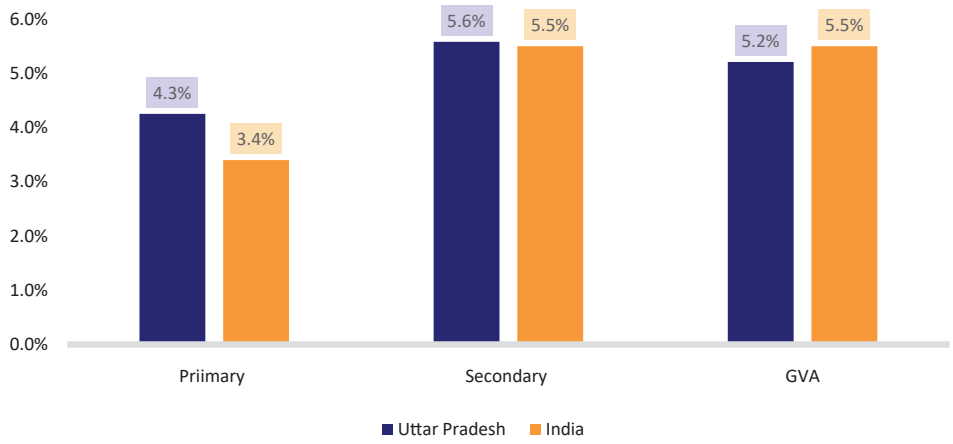

स्रोत– MoSPI, भारत सरकार

कृषि, केंद्रीय नीति का एक क्षेत्र है जिस पर राज्य के बजट में जोर दिया गया है। कृषि में स्टार्ट–अप संस्कृति का समर्थन करने के लिए, सरकार ने अनुसंधान और नवप्रवर्तन में निवेश किया है। उत्तर प्रदेश में स्थित चार कृषि विश्वविद्यालयों में एग्रीटेक स्टार्ट–अप नीति के अंतर्गत लगभग रु. 20 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है। धारणीय कृषि नीति के लिए राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत, राज्य ने लगभग 631 करोड़. रु.रुपये की राशि प्रस्तावित की है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 984 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, और पंडित दीन दयाल उपाध्याय कृषि समृद्धि योजना के अंतर्गत 102 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है। राज्य के बजट में यह भी कहा गया है कि चीनी उद्योग कृषि और सहायक सेवाओं का एक महत्वपूर्ण भाग है (राज्य बजट 2023)।

उत्तर प्रदेश का शक्ति केंद्रः इसका जनसांख्यिकीय विभाजन

2011 की जनगणना के अनुसार, लगभग 19.9 करोड़ जनसंख्या के साथ उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तब से जनसंख्या में बढ़ोत्तरी हुई है और 2023 के आधार संबंधी आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में लगभग 23. 330 करोड़ लोग रहते हैं। यह अब भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और राज्य की कुल जनसंख्या का 52% भाग कामकाजी आयु वर्ग (PLFS) के अंतर्गत आता है। श्रम शक्ति भागीदारी दर (LPFR) भी 3.81% की वार्षिक औसत वृद्धि दर से बढ़ी है। 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए LFPR (सामान्य स्थिति पर गणना) वर्ष 2021–22 में 51.6% दर्ज की गई, जो 2017–18 के बाद से सबसे अधिक है (PLFS)। श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR) भी 4.74% की वार्षिक औसत वृद्धि दर से बढ़ रहा है। सामान्य स्थिति पर गणना के अनुसार 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर में 16.79% की गिरावट देखी गई है (PLFS)।

उत्तर प्रदेश की श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी, 4 वर्ष में दोगुनी हुई

ऐतिहासिक रूप से, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक असमानताओं आदि के कारण भारत में महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर (FLPR) पुरुष श्रम शक्ति भागीदारी की

चित्र 4: महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर (FLPR) और महिला कार्यबल भागीदारी दर (FWPR)

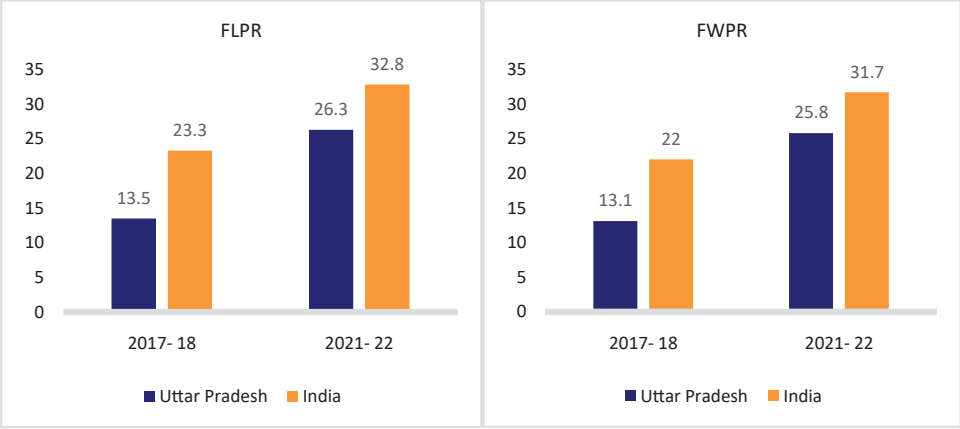

स्रोत– PLFS

तुलना में अपेक्षाकृत कम रही है। भारत में 2017–18 से 2021–22 तक FLPR में 41% की बढ़ोत्तरी हुई है। **वहीं दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश में महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर 2017–18 से 2021–22 तक लगभग दोगुनी हो गई है (चित्र 4),** जो यह दिखाता है कि कार्यशील आयु वाली ऐसी महिलाओं का प्रतिशत बढ़ रहा है, जो कार्यरत हैं या सक्रियतापूर्वक नौकरी की तलाश में हैं। उत्तर प्रदेश में महिला श्रमिकों का जनसंख्या अनुपात 2017– 18 से 2021– 22 तक लगभग दोगुना हो गया है, यह दिखाता है कि श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की भागीदारी की वृद्धि दर, राष्ट्रीय स्तर से भी अधिक होने का गौरव राज्य को प्राप्त है।

ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस रैंकिंग में उत्कृष्टता

ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस, व्यवसाय नियामक परिवेश की, तथा किसी देश में व्यवसाय संचालन और उद्यमिता को किस हद तक सुगमता प्रदान की गई है, इसकी माप करता है। यह सूचकांक विश्व बैंक द्वारा स्थापित किया गया था और प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। विश्व बैंक के अनुसार, ''ऑफ डूइंग बिज़नेस का स्कोर, व्यवसाय करने के प्रत्येक विषय के लिए स्कोर का सरल औसत होता है:

व्यवसाय शुरू करना, निर्माण परमिट संबंधी कार्यवाही, बिजली प्राप्त करना, संपत्ति का पंजीकरण करना, ऋण प्राप्त करना, अल्पसंख्यक निवेशकों की रक्षा करना, करों का भुगतान करना, सीमाओं के पार व्यापार करना, अनुबंधों को लागू करना और दिवालियापन का समाधान करना।'' भारत में उद्योग और आंतरिक व्यवसाय संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय विभाग द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस की रैंकिंग प्रकाशित की जाती है।

तालिका 2, उत्तर प्रदेश की ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस रैंकिंग को दर्शाती है। 2019 में भारत में ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस में ईज उत्तर प्रदेश को ''दूसरा'' स्थान मिला है, जो कि भारत की वित्तीय राजधानी महाराष्ट्र से भी अधिक है। 2015 में महाराष्ट्र को देश में ''आठवां'' स्थान दिया गया था और तब से रैंकिंग नीचे जा रही है। 2019 में देश में महाराष्ट्र को ''तेरहवें'' स्थान पर रखा गया है। आंध्र प्रदेश को 2016 से देश में ''प्रथम'' स्थान दिया गया है और 2019 में भी उसने अपनी रैंक बनाए रखी है।

तालिका 2: उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस रैंकिंग

वर्ष	उत्तर प्रदेश	महाराष्ट्र
2015	10	8
2016	14	10
2017	12	13
2019	02	13

स्रोत (हैंडबुक ऑफ स्टेटिस्टिक्स फॉर इंडियन स्टेटस), RBI

नोट– 2019 तक के आंकड़े उपलब्ध हैं।

उत्तर प्रदेश ने हाल के वर्षों में ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस में सुधार लाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। राज्य ने कई सुधार लागू किए हैं जिससे व्यवसायों को शुरू करना, संचालित करना और विस्तार करना सुगम हुआ है। **फलस्वरूप, उत्तर प्रदेश 185 सुधारों को लागू करके ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है।**

देश के उत्पाद शुल्क राजस्व संग्रह चार्ट में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है।

2018–19 से 2022–23 की समयावधि में उत्तर प्रदेश, राजकीय उत्पाद शुल्क राजस्व संग्रह में प्रथम स्थान पर है, जिसके बाद कर्नाटक और फिर महाराष्ट्र का स्थान है। उत्तर प्रदेश की उत्पाद शुल्क राजस्व प्राप्तियां वित्त वर्ष 2017–18 से वित्त वर्ष 2022–23 में 19% की CAGR से बढ़ी हैं, जबकि इसी समय अवधि में कर्नाटक और महाराष्ट्र का उत्पाद शुल्क राजस्व संग्रह क्रमशः 10. 66% और 11.33% की CAGR से बढ़ा है (चित्र 5)।

चित्र 5: राजकीय उत्पाद शुल्क राजस्व प्राप्तियां (करोड़ रुपये में)

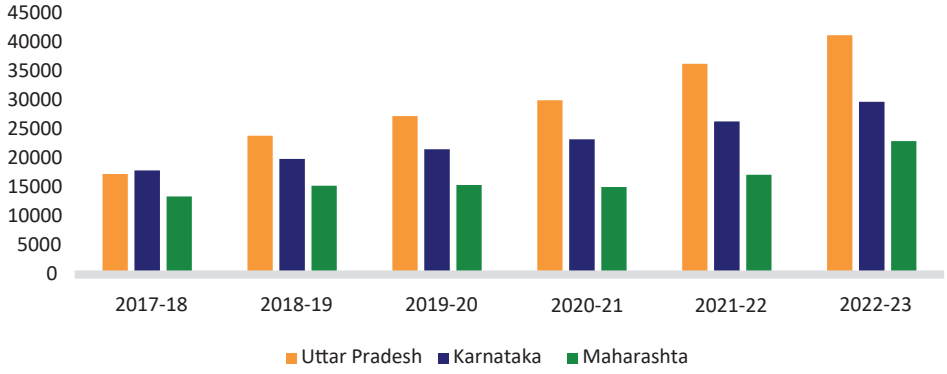

स्रोत– RBI स्टेट फाइनेंस, राजकीय उत्पाद शुल्क विभाग की वार्षिक रिपोर्ट

नोटः वित्तीय वर्ष 2022–23 का राजकीय उत्पाद शुल्क राजस्व संग्रह बजट के पुनरीक्षित प्राक्कलनों पर आधारित है।

अनुभाग 2

उत्तर प्रदेश का ऐल्कोहॉलिक पेय मदिरा क्षेत्र

उपभोक्ताओं की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने आदि कारणों को दृष्टिगत रखते हुए, ऐल्कोहॉलिक पेय मदिरा क्षेत्र व्यापक विनियमों के अधीन है। न्यूनतम बिक्री मूल्य या अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित करना, उत्पाद शुल्क आदि नियामक नियंत्रणों के रूप में प्रायः उपयोग की जाने वाली कुछ मूल्य नियंत्रण व्यवस्थाएं हैं (मुखर्जी और अन्य, 2021)। भारत का ऐल्कोहॉलिक पेय मदिरा क्षेत्र की संरचना अर्ध–संघीय है, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों के नियम लागू होते हैं, जहां केंद्र सरकार स्वच्छता के मानकों, टैरिफ निर्धारण आदि को देखती है, वहीं राज्य अपनी उत्पाद शुल्क नीतियों, अधिनियमों, अधिसूचना आदि के माध्यम से विनिर्माण, वितरण, लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं, पैकेजिंग इत्यादि सहित ऐल्कोहॉल युक्त पेय मदिरा की पूरी आपूर्ति श्रृंखला को विनियमित करते हैं (मुखर्जी और अन्य, 2021)। भारत में ऐल्कोहॉलिक पेय मदिरा उद्योग को व्यापक रूप में तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है (चित्र 6):

चित्र 6: भारत में ऐल्कोहॉल युक्त मदिरा का वर्गीकरण

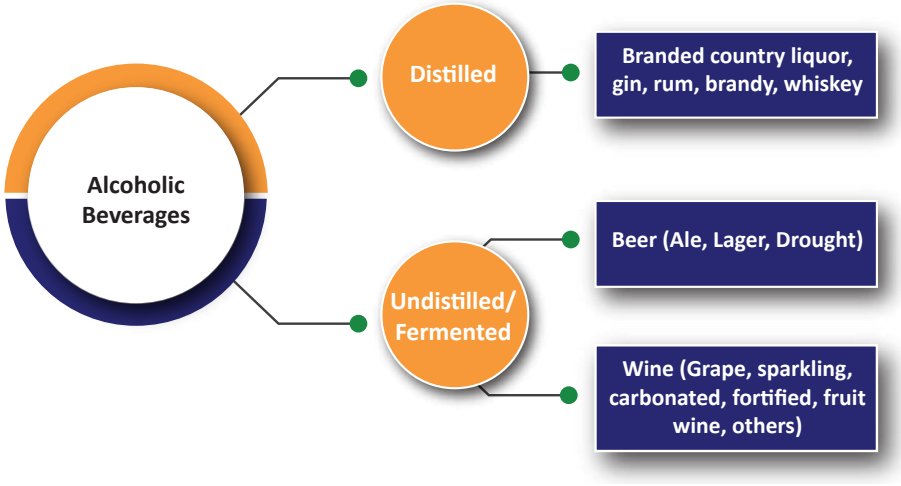

स्रोत: खाद्य सुरक्षा और मानक (ऐल्कोहॉलिक पेय मदिरा) विनियम, 2018, FSSAI

ऐल्कोहॉल का सेवन करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश 4.2 करोड़ के साथ सबसे आगे है, इसके बाद पश्चिम बंगाल 1.4 करोड़ के साथ और मध्य प्रदेश 1.2 करोड़ (मुखर्जी और अन्य, 2021) के साथ है। ब्रांडेड देशी शराब और भारत निर्मित विदेशी शराब (IMFL) राज्यों में खपत होने वाली ऐल्कोहॉल की सबसे प्रमुख श्रेणी हैं। उत्तर प्रदेश गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो ऐल्कोहॉल के उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, इस प्रकार उत्तर प्रदेश ऐल्कोहॉल उद्योग में निवेश के लिए एक आकर्षक स्थान बन गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य में मक्का, जौ, गेहूं आदि फसलों की एक विस्तृत श्रृंखला का उत्पादन होता है जो ऐल्कोहॉल उत्पादन के लिए वैकल्पिक संसाधनों के रूप में काम कर सकते हैं। इससे आसवनियों की क्षमता में बढ़ोत्तरी होगी और पारंपरिक कच्चे माल पर निर्भरता में गिरावट आएगी। लगभग 23.033 करोड़ लोगों के साथ, उत्तर प्रदेश में ऐल्कोहॉल का एक बड़ा और बढ़ता हुआ उपभोक्ता बाजार है। आय में बदलाव के कारण उपभोक्ताओं की रूचियों में बदलाव होने के साथ, उच्च गुणवत्ता वाली ऐल्कोहॉल और ऐल्कोहॉल युक्त पेय मदिरा की एक विस्तृत श्रृंखला की मांग बढ़ रही है। बाजार की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है। उत्तर प्रदेश को एक सुस्थापित परिवहन नेटवर्क का लाभ प्राप्त है। उत्तर प्रदेश को अपनी सुविकसित परिवहन प्रणाली (सड़क और रेल परिवहन सहित) का भी लाभ प्राप्त है। इससे आसवनियों के लिए उनके उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की प्रक्रिया आसान हो जाती है। उत्तर प्रदेश में ऐल्कोहॉलिक पेय मदिरा क्षेत्र में महिलाओं का रोजगार अब बढ़ रहा है। 1 अप्रैल 2023 से, महिलाएं राज्य में 25% खुदरा ऐल्कोहॉल व्यवसाय नियंत्रित करेंगी (ToI 2023)।

उत्तर प्रदेश में ऐल्कोहॉल उत्पादन का नया कीर्तिमान बना

उत्तर प्रदेश में 2016–17 से 2021–22 तक कुल ऐल्कोहॉल उत्पादन दोगुना से अधिक हो गया है (चित्र 7), कि जो पांच वर्ष की अवधि में 20% CAGR से बढ़ा है। 2017–18 में प्रति वर्ष 28% की वृद्धि दर के साथ वार्षिक आधार पर उच्चतम वृद्धि दर दर्ज की गई है। राज्य के उत्पादन में बढ़ोत्तरी का एक कारण, वैकल्पिक फीडस्टॉक से एथेनॉल के उत्पादन की राज्य द्वारा अनुमति दिए जाने का निर्णय हो सकता है, जो ऐल्कोहॉल उत्पादन के लिए

मुख्य कच्चे माल के रूप में गन्ने और शीरे पर इसकी पारंपरिक निर्भरता से एक महत्वपूर्ण बदलाव है। इससे पारंपरिक फीडस्टॉक्स पर निर्भरता कम हुई, जिससे किसानों और आपूर्ति श्रृंखला में अन्य हितधारकों के लिए नए रास्ते खुल गए, और इस तरह से व्यवसाय के नए अवसर उत्पन्न हुए। एथेनॉल उत्पादन में राज्य अग्रणी है (HT 2023)।

चित्र 7: कुल उत्पादन (करोड़ लीटर में)

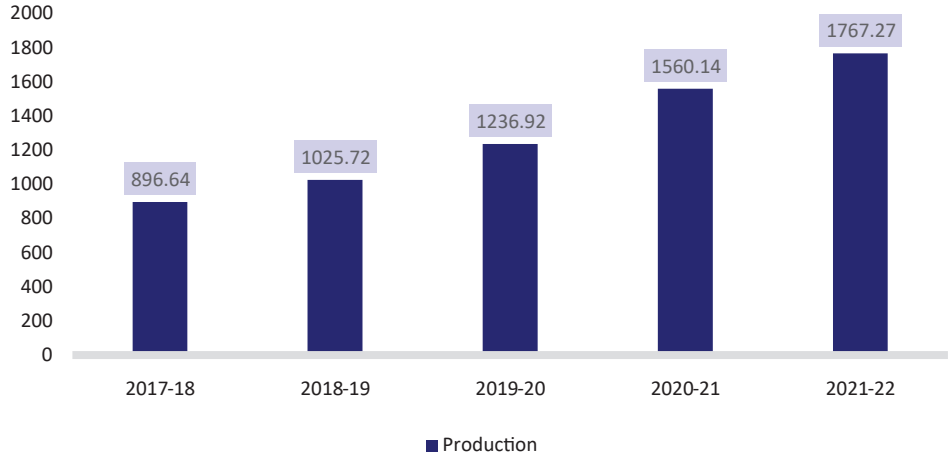

स्रोत– UPDA की सदस्य आसवनियों से प्राप्त आंकड़े

राजकीय उत्पाद शुल्क राजस्व में सर्वोच्च वृद्धि

2016–17 से 2021–22 की समयावधि में राज्य का उत्पाद शुल्क संग्रह लगभग तीन गुना हो गया, जिससे राजकीय कोष में रु. 2022–23 में रु. 41252 करोड़, 2016–17 में रु. 14273 करोड़ का योगदान हुआ (चित्र 8) और वर्तमान में राजकीय उत्पाद शुल्क राजस्व प्राप्तियों में यह अग्रणी है।

राज्य के उत्पाद शुल्क राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला 'ब्रांडेड देशी शराब' वर्ग 2017–18 में प्रति वर्ष 3.5 करोड़ केसों से बढ़कर 2022–23 में प्रति वर्ष 9.1 करोड़ केसों तक पहुंच गया है। 2023–24 में 10.0 करोड़ केस ~ 4.5 करोड़ यूनिट के लक्ष्य के साथ यह 160% की अविश्वसनीय रिकॉर्ड वृद्धि है।

चित्र 8: ऐल्कोहॉलिक पेय मदिरा उद्योग से उत्तर प्रदेश राजकीय उत्पाद शुल्क राजस्व (करोड़ रुपये में)

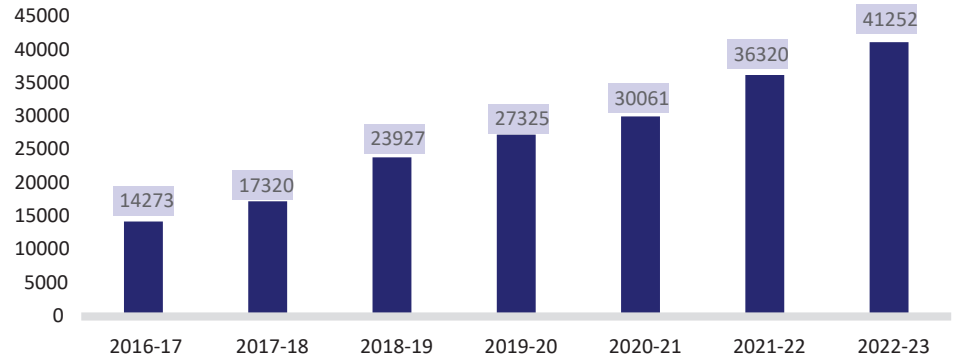

स्रोत– राजकीय उत्पाद शुल्क विभाग की वार्षिक रिपोर्ट

नोट: वित्त वर्ष 2017–18 से वित्त वर्ष 2022–23 तक (RE) के आंकड़ों का उपयोग किया गया है।

इस उद्योग की वृद्धि को बनाए रखने के लिए, आसवनियों ने लगभग 10000 करोड़ रुपये का निवेश किया है, जिसमें ग्रेन ऐल्कोहॉल संयंत्रों की स्थापना के लिए विशेष रूप से आवंटित लगभग 3000 करोड़ रुपये की राशि सम्मिलित है। राज्य के उत्पाद शुल्क विभाग ने घोषणा की है, कि उसने डिस्टिलरी, ब्रूइंग और ऐल्कोहॉल उत्पादों पर आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारी में 17 समझौता ज्ञापन (MoU) घोषित किए हैं। इसके साथ ही 1400 करोड़ के निवेश के लिए आशय पत्र दिए गए हैं। इनमें आसवनियां, ब्रूअरीज, माइक्रोब्रूअरी, यीस्ट यूनिट, माल्ट विनिर्माण इकाइयां और कारमेल विनिर्माण इकाइयां सम्मिलित हैं। (UPDA के सचिव के साथ साक्षात्कार, एम्ब्रोसिया में प्रकाशित)।

राज्य में आसवन क्षमता का विस्तार

उत्तर प्रदेश में ऐल्कोहॉल आसवनियों **की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। 2017–18 में 1700.7 करोड़ लीटर स्थापित क्षमता के साथ कुल 61** आसवनियां **थीं, जो 2022–23 में बढ़कर 85** आसवनियां **हो गई है। पिछले पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश में 20 नई** आसवनियां **स्थापित की गई हैं,**

स्थापित क्षमता भी बढ़कर 3482.1 करोड़ लीटर हो गई है, जो कि 15% की CAGR (2017–18 से 2022– 23 तक) है।

(चित्र 9)। राज्य में एक वर्ष (2021–22 से 2022–23) में ही 18 नई पेय मदिरा आसवनियां स्थापित की गईं। इसके अलावा, 20 नई आसवनियां विकास के चरण में हैं जो अतिरिक्त 0.08 करोड़ लीटर ऐल्कोहॉल उत्पादन में योगदान करेंगी।

उत्तर प्रदेश में आसवनी उद्योग में महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी हुई है, जहां निवेश रु. 1.80 लाख करोड़ को पार कर गया है और उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में रूपांतरित करने के माननीय मुख्यमंत्री श्रीयोगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी लक्ष्य को प्राप्त करने में इसके द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाए जाने की आशा है (Investing.com 2022)। यह भी कहा गया है कि पिछले पांच वर्षों (2017– 18 से 2022– 23) में रु. 9000 करोड़ रुपये का निवेश करते हुए 60,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं।

चित्र 9: उत्तर प्रदेश में आसवनियों की कुल संख्या

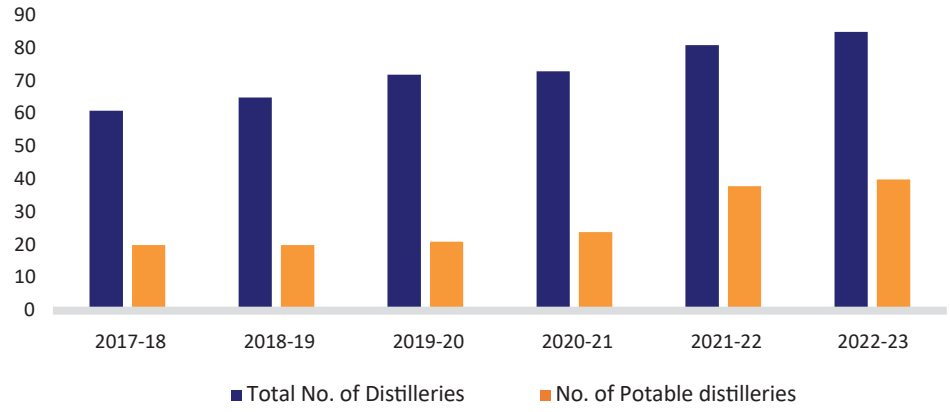

स्रोत: UPDA की सदस्य आसवनियों से प्राप्त आंकड़े

चित्र 10: आसवनियों की उत्पादन क्षमता (अरब लीटर में) और वार्षिक आधार पर वृद्धि दर (%)

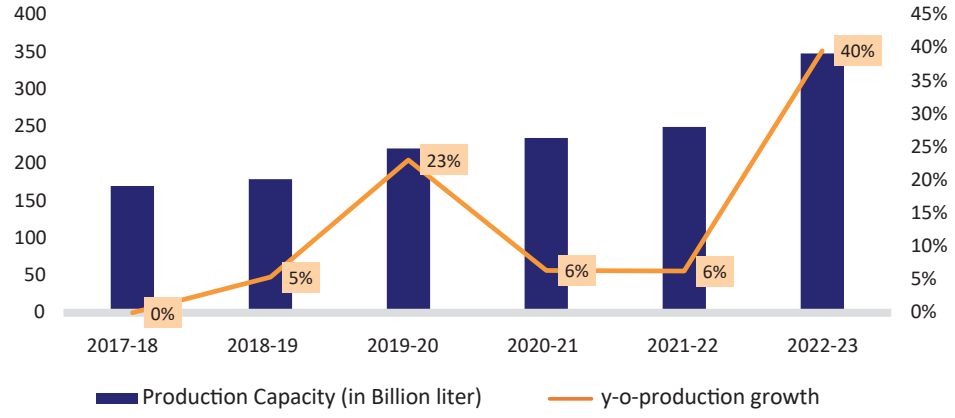

स्रोत: UPDA की सदस्य आसवनियों से प्राप्त आंकड़े

पहले उत्तर प्रदेश में शीरे से लगभग 2.0 करोड़ लीटर ऐल्कोहॉल का उत्पादन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। हालाँकि, अनाज से ऐल्कोहॉल बनाने की दिशा में भी उल्लेखनीय बदलाव हुआ है।

ऐल्कोहॉल युक्त पेय मदिरा के निर्यात में बढ़ोत्तरी

उत्तर प्रदेश से कुल निर्यात में, राज्य से बाहर निर्यात और देश से बाहर निर्यात दोनों ही सम्मिलित हैं। **निर्यातों में 155% की तीव्र बढ़ोत्तरी देखी गई है, जो 2017–18 में 29.278 करोड़ लीटर से बढ़कर 2022–23 में 74.353 करोड़ लीटर हो गया है।** यह 5 वर्षों (2016– 17 से 2021– 22) में 27% की CAGR से बढ़ा है। वार्षिक वृद्धि दर वर्ष 2019–20 में सर्वाधिक रही है (चित्र 11)।

चित्र 11: उत्तर प्रदेश से ऐल्कोहॉलिक पेय मदिरा का कुल निर्यात (करोड़ लीटर में) और वार्षिक आधार पर वृद्धि दर (%)

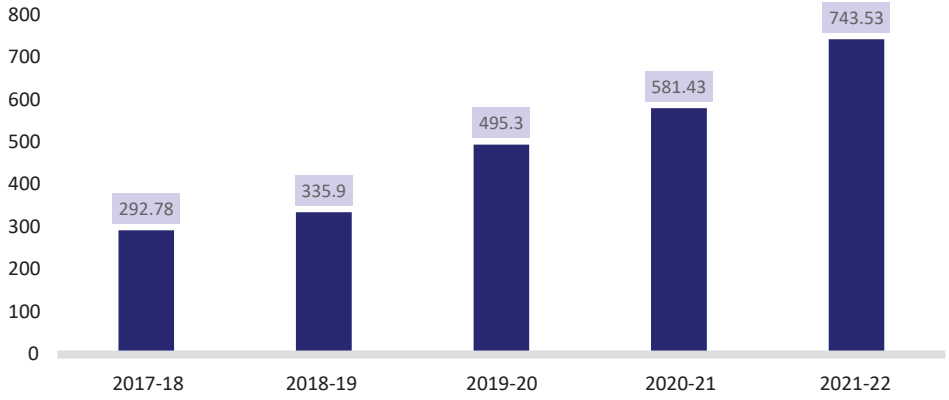

स्रोतः UPDA की सदस्य आसवनियों से प्राप्त आंकड़े

हालांकि उत्तर प्रदेश में भारत निर्मित विदेशी शराब (IMFL) वाली दो दर्जन से अधिक कंपनियां में हैं, लेकिन केवल मोहन मीकिन और रेडिको खेतान लिमिटेड की IMFL ही अपने उत्पादों के लिए अंतरराष्ट्रीय मांग सृजित करने में सफल रही हैं। मोहन मीकिन (गाजियाबाद में) का डार्क रम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक लोकप्रिय उत्पाद है (ToI 2023)।

अनुभाग 3

उत्तर प्रदेश के आसवनी उद्योग की वृद्धि में UPDA का महत्त्वपूर्ण योगदान

उत्तर प्रदेश डिस्टिलर्स एसोसिएशन (UPDA) आसवनी उद्योग के लिए शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करती है। राज्य सरकार के कई विभागों, जिनमें उत्पाद शुल्क, प्रदूषण, उद्योग, कराधान, श्रम आदि सम्मिलित हैं, ने आधिकारिक तौर पर UPDA को इस उद्योग जगत की शीर्ष संस्था के रूप में मान्यता प्रदान की है। भारत में लगभग 520 आसवनियां हैं, जिनमें से 90 आसवनियां उत्तर प्रदेश में हैं, तथा 33 अन्य प्रस्तावित हैं। UPDA में 13 सदस्य आसवनियां सम्मिलित हैं और यह 90% से अधिक पेय मदिरा देशी शराब का उत्पादन करके राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। (सचिव UPDA, एम्ब्रोसिया 2023 के साथ साक्षात्कार)।

UPDA, नीति निर्माताओं के लिए पक्षसमर्थन की अपनी प्रमुख भूमिका के माध्यम से अपने सदस्यों और राज्य/केंद्र सरकार के अधिकारियों के बीच एक इंटरफेस की तरह कार्य करती है। पेय मदिरा ऐल्कोहॉल, औद्योगिक ऐल्कोहॉल, बीयर और अन्य सहायक उत्पादों सहित अन्य ऐल्कोहॉल और आसवनी और ऐल्कोहॉल बनाने वाले उद्योगों के उत्पादों, या इन उद्योगों के कामकाज आदि से संबंधित ज्ञान और सही जानकारी का प्रसार करना ही एसोसिएशन का प्राथमिक उद्देश्य है। सदस्यों को मार्गदर्शन प्रदान करके और प्रदर्शनियों, प्रेस और अन्य मीडिया आदि में भाग लेते हुए, इस उद्योग जगत को प्रभावित करने वाले मामलों पर विचार करके यह उद्देश्य पूरा किया जाता है। प्रमुख संबंधित विषयों पर अध्ययन और अनुसंधान के केंद्र के रूप में UPDA, अपने सदस्यों के सर्वोत्तम हितों के लिए कार्य करती है।

यह एसोसिएशन, ऐल्कोहॉल उद्योग से संबंधित कानूनों और उपायों के संवर्धन, संरक्षण, विरोध और सुझाव आदि गतिविधियों में भाग लेती है। यह एसोसिएशन स्थानीय, राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों और अन्य संबंधित संगठनों के समक्ष प्रतिनिधित्व करते हुए, अपने सदस्यों के हितों का प्रस्तुतिकरण करती है।

UPDA ऐल्कोहॉल उद्योग से संबंधित आंकड़े और अन्य प्रासंगिक जानकारी एकत्र और प्रसारित करती है, जो उद्योग की वृद्धि और विकास में सहायक हैं।

उद्योग जगत में आपसी संव्यवहार के लिए मानक स्थापित करना, UPDA द्वारा निभाई जाने वाली एक और महत्वपूर्ण भूमिका है। नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। सदस्य आसवनियों को पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, संयंत्रों, मशीनरी, उपकरण और उद्योग से संबंधित अन्य उत्पादों की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन आदि अनेक क्षेत्रों में सहायता प्रदान की जाती है। UPDA ऑल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन जैसी अन्य संस्थाओं के साथ भी सहयोग करती है। यह बिल ऑफ लैंडिंग, वारंट, डिबेंचर और अन्य नेगोशिएबल और हस्तांतरण योग्य इंस्ट्रूमेन्ट और प्रतिभूतियां भी आहरित करती, निर्मित करती, स्वीकार करती हैं, डिस्काउंट, क्रियान्वयन और जारी करती हैं। भारत का दौरा करने वाली विदेशी व्यवसाय और औद्योगिक टीमों के साथ बैठकों की व्यवस्था करना, भारत और विदेश दोनों स्थानों पर सदस्यों, विशेषज्ञों और उद्यमियों वाले व्यापारिक और औद्योगिक मिशनों जैसी गतिविधियां UPDA द्वारा आयोजित की जाती है। भारत में या भारत के बाहर चौंबर ऑफ कॉमर्स और अन्य वाणिज्यिक औद्योगिक और सार्वजनिक निकायों के साथ बातचीत करना, UPDA का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है।

UPDA का चार दशकों का सफ़र

UPDA (उत्तर प्रदेश डिस्टिलर्स एसोसिएशन) ने 1983 में अपनी स्थापना के बाद से कई कीर्तिमान हासिल किए हैं। बीते वर्षों के दौरान कुछ प्रमुख प्रयासों और उपलब्धियों का विवरण यहां दिया गया है।

1983

- UPDA की स्थापना हुई, जो कि उत्तर प्रदेश आसवनी उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष था।
- उत्तर प्रदेश सरकार ने डिस्टिलरी मज़दूरी अनुबंध के लिए एक समिति गठित की।
- पेय मदिरा ऐल्कोहॉल के उत्पादन के लिए पहली डिस्टिलरी, बाणसागर डिस्टिलरी स्थापित हुई।

- उत्तर प्रदेश, शीरे से एथेनॉल का उत्पादन शुरू करने वाला पहला राज्य बना।

1985

- निजी क्षेत्र की कंपनियों को एथेनॉल उत्पादन के लाइसेंस देने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को सहमत करने में UPDA ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

1987

- UPDA आसवनियों और डिस्टिलरी के कर्मचारियों के बीच प्रथम द्विपक्षीय वेतन समझौता हुआ।

1991

- उत्तर प्रदेश में उत्पाद शुल्क नीति लागू हुई, जिससे पेय मदिरा ऐल्कोहॉल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अन्य आसवनियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ।

1992

- ऐल्कोहॉल पर उत्पाद शुल्क में कमी करने के लिए UPDA ने सफलतापूर्वक पक्ष रखा जिससे डिस्टिलरी के लिए उत्पादन की लागत में कमी हुई।

1993

- डिस्टिलरी क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने वाली एक नई नीति प्रस्तुत करने के लिए UPDA ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ सहयोग किया, जिसके फलस्वरूप राज्य में डिस्टिलरी की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई।

1995

- UPDA ने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में एथेनॉल की संभावनाओं पर बात करने के लिए पहला राज्य सम्मेलन आयोजित किया, जिससे राज्य में जैव ईंधन की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त हुआ।

1997

- प्रथम शीरा आरक्षण नीति में देशी शराब निर्माता आसवनियों के लिए 20% आरक्षित शीरे का प्रावधान किया गया, जिससे राज्य में पेय मदिरा ऐल्कोहॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन मिला।
- UPDA ने आसवनियों को सीधे खुदरा विक्रेताओं को उत्पाद बेचने की अनुमति देने के लिए सरकार के साथ वार्ता की, जिससे उपभोक्ताओं के लिए ऐल्कोहॉल युक्त पेय मदिरा की लागत में कमी आई।

2000

- UPDA ने शीरे पर बिक्री कर को 15% से घटाकर 8% करने के लिए सफलतापूर्वक पक्षसमर्थन किया।
- UPDA ने विनियमन, विकेंद्रीकरण और सरलीकरण प्रक्रियाओं हेतु सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों को रेखांकित करने के लिए प्रथम सेमिनार आयोजित किया।
- UPDA ने विदेशी मुद्रा की बचत और पर्यावरणीय लाभों के लिए मोटर गैसोलीन में एथेनॉल मिलाए जाने के लिए केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया।
- UPDA ने जिम्मेदारीपूर्वक ऐल्कोहॉल पीने की आदतों को बढ़ावा देने के लिए, और ऐल्कोहॉल के दुरुपयोग को हतोत्साहित करने के लिए एक जागरूकता अभियान शुरू किया।

2001

- UPDA ने ब्रांडेड देशी शराब के लिए पाउच पैकेजिंग के बजाय बोतलों में पैकेजिंग को अपनाया।
- मोटर गैसोलीन में एथेनॉल के उपयोग की शुरुआत हुई।

2003

- प्रदूषण को कम करने और नवीकरणीय ईंधन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश ने एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम शुरू किया, जिसके अंतर्गत पेट्रोल में एथेनॉल को मिश्रित करना अनिवार्य कर दिया गया।

2006

- उत्तर प्रदेश सरकार ने जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में एथेनॉल युक्त जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक नीति प्रारंभ की।

2010

- इस वर्ष में, श्रम मामलों को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए UPDA आसवनियों, श्रमिकों और सरकार के बीच ''श्रम त्रिपक्षीय समझौते'' की शुरुआत हुई।

2015

- उत्तर प्रदेश ने बिजली के सह–उत्पादन हेतु शीरे पर आधारित एथेनॉल को बढ़ावा देने के लिए ''चीनी मिलों और आसवनियों में सह–उत्पादन के लिए एथेनॉल नीति'' लागू की।

2017

- UPDA ने 1986 के पिछले स्थायी आदेश को संशोधित करते हुए, त्रिपक्षीय आधार पर श्रम संबंधी नए स्थायी आदेशों को अंतिम रूप दिया।

2018

- UPDA ने व्यापार कर और प्रशासनिक प्रभारों की मांग के ''दोहरे कराधान'' को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की और प्रशासनिक प्रभार लगाए जाने के विरूद्ध स्थगन आदेश प्राप्त किया।

2020

- UPDA आसवनियों ने कोविड–19 महामारी के दौरान सैनिटाइज़र और ऑक्सीजन संयंत्रों की आपूर्ति की

2021

- UPDA द्वारा, 2016–2022 की अवधि हेतु द्वितीय श्रम त्रिपक्षीय समझौते का निष्पादन किया गया।

2022

- UPDA ने छह भागीदार देशों की सहभागिता, और विभिन्न देशों की प्रस्तुतियों के साथ अपना प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया।
- इसके बाद, अखिल भारतीय डिस्टिलरी प्रतिनिधिमंडल और UPDA के सदस्यों से गठित एक प्रतिनिधिमंडल ब्राजील की यात्रा पर गया। भारत और ब्राजील के डिस्टिलरी और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के बीच व्यवसायिक क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना और पारस्परिक हित के संभावित क्षेत्रों की पहचान करना, इस यात्रा का उद्देश्य था।

2023

- UPDA राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक निकायों जैसे कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI), ग्लोबल ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया (GTTCI), ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया (TPCI), FICCI, एसोचैम, PHD चौंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) के साथ संबद्धता करने और समझौता ज्ञापनों (MoU) को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।
- जुलाई 2023 में UPDA का द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें घरेलू प्रौद्योगिकियों के अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, इज़राइल और कई अन्य देशों के साथ वैश्विक नवप्रवर्तक प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया जाएगा (UPDA)।

उत्तर प्रदेश और **UPDA** द्वारा सृजित किए गए कीर्तिमान

- उत्तर प्रदेश में लागत–कुशल IMFL द्वारा ब्रांडेड ''देशी शराब'' के रूप में ऐल्कोहॉल का प्रभुत्व है। 10.0 करोड़ केस ~ 4.5 करोड़ यूनिट पैक का वार्षिक उत्पादन/खपत। विशाल आंकड़े और संभवतः एक विश्व रिकॉर्ड।
- ऐल्कोहॉल का सबसे बड़ा उत्पादकः 2021 में, 0.68 करोड़ लीटर के उत्पादन के साथ उत्तर प्रदेश विश्व का सबसे बड़ा ऐल्कोहॉल उत्पादक बन गया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 10% की बढ़ोत्तरी है।
- प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ऐल्कोहॉल उपभोगः उत्तर प्रदेश मेंऐल्कोहॉल का प्रति व्यक्ति उपभोग भी विश्व में सर्वाधिक है। 2021 में, उत्तर प्रदेश में औसत व्यक्ति प्रति वर्ष 7.3 लीटर ऐल्कोहॉल का उपभोग करता था।

- ऐल्कोहॉल के सबसे अधिक ब्रांडः उत्तर प्रदेश में,ऐल्कोहॉल के ब्रांडों की संख्या भी विश्व में सर्वाधिक है। राज्य में 10,000 से अधिक विभिन्न ब्रांडों वाली ऐल्कोहॉल का उत्पादन होता है।
- ऐल्कोहॉल की लाइसेंसधारक दुकानों की सबसे बड़ी संख्याः उत्तर प्रदेश में, ऐल्कोहॉल की लाइसेंसधारक दुकानों की संख्या विश्व में सर्वाधिक है। राज्य में ऐल्कोहॉल की लाइसेंसधारक दुकानें 100,000 से अधिक हैं।
- देशी शराब का सबसे बड़ा बाजारः उत्तर प्रदेश में देशी शराब का बाजार, विश्व का सबसे बड़ा है। देशी शराब एक प्रकार का ऐल्कोहॉलिक पेय मदिरा है।

UPDA के सदस्यों द्वारा की जाने वाली कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी गतिविधियां

UPDA और इसकी सदस्य आसवनियां, समाज के कल्याण के लिए CSR पहल करने में सक्रियतापूर्वक सम्मिलित हैं। इनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है।

- अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां निभाने के मामले में इंडिया ग्लाइकॉल्स लिमिटेड सदैव अग्रणी रहा है। कोविड के दौरान सैनिटाइज़र और ऑक्सीजन संयंत्र उपलब्ध कराने के लिए व्यापक सहायता प्रदान की गई। पशु कल्याण के अलावा, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा को बढ़ावा, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना आदि कार्य किए गए। IGL संयंत्र में महिला श्रमिकों की भागीदारी 48% से अधिक है।
- रेडिको खेतान लिमिटेड ने, 2020 में फैली महामारी के दौरान मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र की स्थापना करके कोविड सहायता प्रणाली संचालित की। इसने कोविड के दौरान भोजन वितरण करने, और जरूरतमंद लोगों को चिकित्सा ऑक्सीजन सिलेंडर और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए रत्नत्रय फाउंडेशन को योगदान दिया। कोविड के दौरान रेडिको खेतान ने परिवारों को खाना खिलाने के लिए किशनचंद पी बेलानी ट्रस्ट को भी योगदान दिया और सेनेटरी नैपकिनों के वितरण के लिए इंडिया विजन

फाउंडेशन के साथ सहयोग किया। इसके अतिरिक्त, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा को बढ़ावा देना, पर्यावरणीय धारणीयता, वृक्षारोपण और पशु कल्याण, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां आदि भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें यह कार्यरत है।

- वेव डिस्टिलरीज एंड ब्रूअरीज लिमिटेड और लॉर्ड्स डिस्टिलरी लिमिटेड ने ग्रामीण महिलाओं के लिए शिक्षा और कौशल विकास, सशक्तिकरण, बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं, ग्रामीण उत्थान और रूपांतरण, खेलकूद को बढ़ावा, भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन और पर्यावरणीय धारणीयता के क्षेत्रों में कार्य किए हैं। इन गतिविधियों के अलावा, धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ग्रामीण विकास और पशु कल्याण के क्षेत्रों में भी कार्यरत है।
- सुपीरियर इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने स्वास्थ्य देखभाल और जीवन की आधारभूत सुविधाओं में सुधार के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया है। यह स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने, चिकित्सा सहायता प्रदान करने, और प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती की दिशा में कार्य करता है। यह रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा देता है और शिक्षा और साक्षरता के महत्व पर जोर देता है। इसके अतिरिक्त, यह पर्यावरण और वन संरक्षण प्रयासों, ग्रामीण विकास के प्रयासों में सहयोग करता है, और अधिक आयु वाली और दूध देना बंद कर चुकी गायों के लिए आश्रय (गोशाला) की व्यवस्थाएं करता है।
- प्रमुख रूप से शिक्षा, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता विधियों को बढ़ावा देना, धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड (धामपुर शुगर यूनिट) की परियोजनाओं का उद्देश्य है। यह ग्रामीण विकास, महिलाओं और आर्थिक रूप से वंचित समूहों के सशक्तिकरण पर भी ध्यान केंद्रित करता है। परियोजना में निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता, धारणीय वातावरण सुनिश्चित करने और खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया जाता है। इन गतिविधियों के अतिरिक्त, डीसीएम श्रीराम लिमिटेड और मोहित पेट्रोकेमिकल प्राइवेट लिमिटेड, पेड़–पौधों और जीव–जंतुओं के संरक्षण और पशु कल्याण और स्वास्थ्य व भलाई की दिशा में भी कार्य करते हैं।
- जैन डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड युवाओं की रोजगारपरकता हेतु व्यावसायिक कौशल संवर्धन के माध्यम से रोजगार को बढ़ावा देने, तथा निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता सहित स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्रों में कार्य करता है।

- डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (दौराला शुगर वर्क्स) स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देता है जिनमें निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता शामिल हैं, यह महिलाओं, वृद्धों और दिव्यांग बच्चों की शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, वरिष्ठ नागरिकों को सहायता, पर्यावरणीय धारणीयता और पेड़–पौधों व जीव–जंतुओं के संरक्षण, पारंपरिक कलाओं को बढ़ावा देने, ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में सहयोग प्रदान करता है।
- अवध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड, आपदा प्रबंधन की दिशा में प्रयासरत है जिसमें राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियां शामिल हैं। यह शिक्षा को बढ़ावा देता है, जिसमें विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के बीच व्यावसायिक कौशल बढ़ाने वाली विशेष शिक्षा और आजीविका संवर्धन परियोजनाएं सम्मिलित हैं, यह पर्यावरणीय धारणीयता और पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित करता है। पेड़–पौधों व जीव–जंतुओं के संरक्षण, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और मृदा, वायु व जल की गुणवत्ता बनाए रखना, जिसमें गंगा नदी के कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा निधि में योगदान भी सम्मिलित है, आदि ऐसी कुछ परियोजनाएँ हैं जिन पर यह केंद्रित होकर कार्य करता है।
- UPDA के सदस्यगण, उत्तर प्रदेश में आसवनी उद्योग का आधार बने रहे हैं, जो कि उच्च राजस्व अर्जित करने वाला उद्योग क्षेत्र है और यहां तक कि अखिल भारतीय आधार पर भी इसका प्रमुख स्थान माना गया है। इसके अतिरिक्त, सदस्यगण राज्य और राष्ट्र के प्रति अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के मामले में सदैव अग्रणी रहे हैं। महामारी के दौरान (2020 से) विभिन्न उपायों के माध्यम से ऐसे प्रयासों में और भी तेजी आई, जब सैनिटाइज़र का उत्पादन, सरकारी कोविड निधि में वित्तीय योगदान आदि विविध गतिविधियां की गईं, इसके अतिरिक्त उन्होंने कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत दोनों प्रकार की क्षमताओं में समाज में जरूरतमंदों की मदद के लिए स्वेच्छा से कार्य किए हैं।
- 21 अप्रैल से कोविड–19 की दूसरी लहर दुर्भाग्य से और भी घातक रही है। समय की मांग और सामाजिक उत्तरदायित्व को समझते हुए, आसवनियों ने राज्य के विभिन्न शहरों और जिलों में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किए। इस लहर में ऑक्सीजन की भारी कमी होने के कारण, ऐसे ऑक्सीजन संयंत्र

निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर समाज के लिए बहुत सहायक होंगे। उस अवधि के दौरान लगभग 35 आसवनियां स्थापित की गई हैं।

- 2021 में, उत्तर प्रदेश में आसवनी उद्योग ने 10 स्कूलों का निर्माण और नवीनीकरण किया, 1,000 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की, 10 शैक्षिक प्रोग्रामों को प्रायोजित किया और 50 शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया।
- 2021 में, उत्तर प्रदेश में आसवनी उद्योग ने 500 किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की, 1,000 व्यक्तियों के लिए कौशल विकास प्रोग्रामों में सहयोग किया और 100 गांवों में धारणीय कृषि विधियों को बढ़ावा दिया।
- 2021 में, उत्तर प्रदेश में आसवनी उद्योग ने 5 अस्पतालों का निर्माण और नवीनीकरण किया, 100 अस्पतालों को चिकित्सा उपकरण प्रदान किए, 20 चिकित्सा शिविर प्रायोजित किए और 100 स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया।
- 2021 में, उत्तर प्रदेश में आसवनी उद्योग ने 2 जल शोधन संयंत्रों का निर्माण और नवीनीकरण किया, 100,000 लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया और 10 जल संरक्षण प्रोग्राम प्रायोजित किए।

आगामी गतिविधियों की रूपरेखाः

- एक एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत UPDA, अपने अगले डिस्टिलरी प्रतिनिधिमंडल के USA भ्रमण की योजना पर कार्यरत है, जिसमें निम्न बिंदुओं पर अन्वेषण किया जाएगाः
- भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के अग्रणी उद्योगों के बीच मक्के के उत्पादन और एथेनॉल के उत्पादन की तकनीकी चर्चा और उसके क्रियान्वयन की योजना।
- भारत में मक्के की खेती और मक्का अनाज की उत्पादकता में वृद्धि, भारत में GM मक्के की खेती, USA से नए कॉर्न कल्टिवेटर्स का परीक्षण, और मक्के उगाने वाले किसानों और उद्योग जगत के लिए एक समग्र मॉडल विकसित करना।
- मक्का अनाज और मक्का जैवमात्रा (भुट्टा और पत्तियां–मक्के का भूसा) से एथेनॉल उत्पादन तकनीक का हस्तांतरण।

- DDGS (ड्राई डिस्टिलर्स ग्रेन्स सॉल्यूबल) DDGS से प्रोटीन का मूल्यरक्षण और पुनर्प्राप्ति और शुद्धिकरण, DDGS से ऑयल की रिकवरी और इसकी प्रोफाइलिंग, मवेशियों और मुर्गीपालन के लिए DDGS आधारित समग्र पोषक और स्वादिष्ट आहार का विकास।
- UPDA 'इन्वेस्ट इंडिया' के साथ सहयोग कर रही है, जिसमें UPDA एक इंटरफेस का कार्य करेगी और जैव–ईंधन क्षेत्र और अनाज–आधारित आसवनियों पर आरंभिक फोकस के साथ निवेश और प्रौद्योगिकियों को लाने में सहयोग करेगी (सचिव, UPDA, एम्ब्रोसिया 2023 के साथ साक्षात्कार)।

UPDA का विज़न

उत्तर प्रदेश में समृद्ध और नैतिक आसवनियां उद्योग निकाय निर्मित करना, UPDA का विज़न है। यह नवप्रवर्तन, आपसी सहयोग, धारणीय विधियों से प्रेरित होगा, अपने सदस्यों, राज्य और व्यापक रूप में पूरे देश को लाभ पहुंचाना जिसका लक्ष्य होगा। नवप्रवर्तन, रणनीतिक नियोजन और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाते हुए, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर उत्तर प्रदेश को आसवनी उद्योग में अग्रणी के रूप में स्थापित करना UPDA का ध्येय है। अनुकूल व्यवसायिक परिवेश को बढ़ावा देकर, व्यापारिक संवर्धन द्वारा UPDA, उद्योग जगत की वृद्धि और प्रतिस्पर्धी क्षमता को उन्नत बनाने के लिए प्रेरित है। सरकारी प्राधिकारियों, नीति निर्माताओं और नियामक निकायों के समक्ष अपने सदस्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक विश्वसनीय और मुखर माध्यम के रूप में कार्य करते हुए, आसवनी उद्योग के विकास और धारणीयता में सहायक अनुकूल नीतियां, विनियम, और प्रोत्साहन साकार करने हेतु सरकार के साथ सक्रियतापूर्वक संवाद करना UPDA का ध्येय है। ''स्वच्छ गंगा मिशन'' और धारणीयता संबंधी अन्य प्रयासों का समर्थन करने के लिए एसोसिएशन, पर्यावरण–अनुकूल विधियों, जैसे कि अपशिष्ट जल उपचार, शून्य तरल निस्सारण और स्वच्छ ऊर्जा समाधान आदि अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। डिस्टिलरी संचालन में उत्पादकता, दक्षता, धारणीयता बढ़ाने के लिए अनवरत नवप्रवर्तन और तकनीकी प्रगति के महत्व को UPDA द्वारा माना गया है। डिजिटलीकरण और स्वचालन और अनुसंधान सहयोग का लाभ उठाते हुए, एसोसिएशन ने ऐल्कोहॉल और एथेनॉल उत्पादन में प्रगति

लाने, ज्ञान के आदान–प्रदान को बढ़ावा देने, और सर्वोत्तम विधियां विकसित करने की योजना बनाई है। ज्ञान के आदान–प्रदान और अनुसंधान विकास प्रेरित करने के लिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों के साथ रणनीतिक साझेदारी और सहयोग को बढ़ावा देने की UPDA की योजना है जिससे ऐल्कोहॉल और एथेनॉल उत्पादन में ज्ञान के आदान–प्रदान, और अनुसंधान एवं विकास को प्रेरित किया जा सकेगा। इन्वेस्ट इंडिया के साथ आपसी सहयोग, निवेश आकर्षित करने, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा और जैव ईंधन और ग्रेन–आधारित आसवनियों को बढ़ावा देने पर विशेष रूप से केंद्रित होगा। अनुसंधान संस्थानों और उद्योग के साथ मिलकर कार्य करते हुए यह एसोसिएशन, फसल उन्नतीकरण करने, मक्के की खेती को उन्नत बनाने, आनुवंशिक संशोधित फसलों की खोज करने और घुलनशील डिस्टिलर्स शुष्क ग्रेन (DDGS) के पशु आहार में उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में काम करेगी। धारणीयता के प्रयासों में सहयोग करने के लिए अपशिष्ट जल उपचार, शून्य तरल निर्वहन और स्वच्छ ऊर्जा समाधान आदि पर्यावरण–अनुकूल विधियों पर जोर दिया जाएगा। UPDA ऐल्कोहॉल के जिम्मेदारीपूर्वक उपभोग को बढ़ावा देगी और अर्थव्यवस्था, रोजगार और सामाजिक विकास के क्षेत्रों में इस उद्योग जगत के योगदान के बारे में आम जनता को शिक्षित करेगी। आसवनी उद्योग में नियोक्ता–कर्मचारी संबंधों को मजबूत बनाने, समुचित श्रम विधियों, कौशल विकास और कर्मचारी कल्याण हेतु पक्षसमर्थन के प्रयास किए जाएंगे। अपने सदस्यों के लिए एसोसिएशन उद्योग–विशिष्ट आंकड़े, बाजार की गहन जानकारी, और सर्वोत्तम विधियों को एकत्रित और प्रसारित करेगी, जिससे उन्हें जागरूकतापूर्ण व्यावसायिक निर्णय लेने और बाजार के रुझानों से समुचित तालमेल बनाए रखने में सक्षम बनाया जा सकेगा।

ग्रंथ सूची

Ambrosia. (2023). UP Becoming the Hub of Distilleries: UPDA's Rajneesh Agarwal. SAP Media Worldwide Ltd. Available at: https://www.ambrosiaindia.com/2023/07/up-becoming-the-hub-of-distilleries-updas-rajneesh-agarwal/

American Addiction Centre. (2022). Alcohol By Volume: Beer, Wine & Liquor. Available at: https://alcohol.org/statistics-information/abv/

Budget U.P. (2023). Available at: https://budget.up.nic.in/

Census of India. (2011). Office of Registrar General & Census Commissioner of India. Ministry of Home Affairs. Government of India. Available at: https://censusindia.gov.in/census.website/

Directorate General of Employment. (2017). Annual PLFS Reports. Ministry of Labour and Employment. Government of India. Available at: https://dge.gov.in/dge/reference-publication-reports-annual

Directorate General of Employment. (2018). Annual PLFS Reports. Ministry of Labour and Employment. Government of India. Available at: https://dge.gov.in/dge/reference-publication-reports-annual

Directorate General of Employment. (2019). Annual PLFS Reports. Ministry of Labour and Employment. Government of India. Available at: https://dge.gov.in/dge/reference-publication-reports-annual

Directorate General of Employment. (2020). Annual PLFS Reports. Ministry of Labour and Employment. Government of India. Available at: https://dge.gov.in/dge/reference-publication-reports-annual

Directorate General of Employment. (2021). Annual PLFS Reports. Ministry of Labour and Employment. Government of India. Available at: https://dge.gov.in/dge/reference-publication-reports-annual

Directorate of Economics and Statistics. (2019). Land Use Statistics. Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Government of India. Available at: https://eands.dacnet.nic.in/

Food Safety and Standards Authority of India. (2018). Food Safety and Standards (Alcoholic Beverages) Regulations. Available at: https://www.fssai.gov.in/upload/uploadfiles/files/Compendium_Alcoholic_Beverages_Regulations_04_03_2021.pdf

Handbook of Statistics on Indian States. (2022). Reserve Bank of India. Available at https://www.rbi.org.in/Scripts/AnnualPublications.aspx?head=Handbook%20of%20Statistics%20on%20Indian%20States

Hindustan Times. (2023). Uttar Pradesh Governments' Excise Revenue Triples in Six Years. Available at: https://www.hindustantimes.com/cities/lucknow-news/uttar-pradesh-excise-revenue-triples-to-contribute-rs-42-000-crore-in-2022-23-thanks-to-better-enforcement-and-ease-of-doing-business-101684345191960.html

Invest India. (2021). The success story of civil aviation industry in Uttar Pradesh. Available at https://www.investindia.gov.in/team-india-blogs/success-story-civil-aviation-industry-uttar-pradesh#:~:text=Through%20these%20projects%2C%20Uttar%20Pradesh,in%20the%20upcoming%20three%2Dyears.

Jakovlijevic M., Varavikova, E.A., Walter, H., Wascher, A., Pejcic, A.V., and Lesch, O.M. (2017). Alcohol Beverage Household Expenditure, Taxation and Government Revenues in Broader European WHO Region. Frontiers in Pharmacology. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5445193/

Ministry of Statistics and Programme Implementation. National Accounts Statistics. Government of India. Available at https://www.mospi.gov.in/download-tables-data

Mukherjee, A., Rao, A. P., Sarma, A. P., Bharti, N., and Dugar, P. (2021). Developing Principles for Regulation and Pricing of Alcoholic Beverages Sector in India. Academic Foudation. Available at: https://icrier.org/pdf/ES/ES_Alcoholic_Beverages.pdf

Press Information Bureau (PIB). (2022). Results of Start-Up Ranking of States 2021 announced. Available at: https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1839131

Press Information Bureau. (2023). India received 6.19 million Foreign Tourist Arrivals (FTAs) during 2022 as compare to 1.52 million during the same period of 2021. Available at: https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1914516

Soundararajan, N., Khurana, S., Hazarika, A., and Kapoor, G. (2019). An Integrated Value Chain Approach to Ease of Doing Business in India. A Case Study of Sugar, Alco-bev, and Tourism. Pahle India Foundation. Available at: https://pahleindia.org/report-released-on-an-integrated-value-chain-approach-to-ease-of-doing-business-a-case-study-of-sugar-alcohol-beverages-and-tourism/

State Finance. (2023). Reserve Bank of India. Available at: https://rbi.org.in/Scripts/AnnualPublications.aspx?head=State%20Finances%20:%20A%20Study%20of%20Budgets

Statista. (2023). Alcoholic Drinks- Worldwide. Available at: https://www.statista.com/outlook/cmo/alcoholic-drinks/worldwide

The Indian Express. (2023). CM sets 5- year time frame to make state $1- trillion economy. Available at https://indianexpress.com/article/cities/lucknow/yogi-adiyanath-on-up-economy-up-1-trillion-economy-8683238/

The Times of India. (2023). In a First, Women Will Operate 25% Retail Liquor Business In Uttar Pradesh From April 1. Available at: https://timesofindia.indiatimes.com/city/lucknow/in-a-first-women-will-operate-25-retail-liquor-business-in-uttar-pradesh-from-april-1/articleshow/98982109.cms?from=mdr

The Times of India. (2023). Cheers! Made-in-UP Bottled Liquor Exports Witness 20% Hike. Available at: https://timesofindia.indiatimes.com/city/lucknow/cheers-made-in-up-bottled-liquor-exports-witness-20-hike/articleshow/100606513.cms?from=mdr

परिशिष्ट

भारत में डिस्टिलरी स्थापित करने के लिए आवश्यक कानूनी अपेक्षाएं और प्रमाणन

भारत में डिस्टिलरी यूनिट शुरू करने के लिए कानूनी अपेक्षाएं

FSSAI लाइसेंस

प्रत्येक खाद्य व्यवसाय के मालिक को जिसमें छोटे विक्रेता/फेरीवाले भी शामिल हैं, FSSAI से फूड लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। FSSAI का अर्थ भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है।

व्यापार/भोजनशाला का लाइसेंस

खाद्य व्यवसाय को प्रायः भारत में संबंधित राज्यों के नगर निगम कानूनों के अंतर्गत 'ईटिंग हाउस' के रूप में व्यापारिक लाइसेंस दिया जाता है। कोई भी खाद्य व्यवसाय संचालक संबंधित नगर पालिका में आवेदन करके व्यापारिक लाइसेंस प्राप्त कर सकता है। प्रायः, अधिकांश राज्यों में जारी किए गए व्यापारिक लाइसेंस 1 वर्ष की अवधि तक वैध होते हैं और वार्षिक शुल्क के भुगतान के आधार पर इसे नवीनीकृत किया जाता है।

अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC)

भारत के अधिकांश राज्यों के अग्नि सुरक्षा कानून रेस्तरां/कैफे/होटल/बेकरी के व्यवसाय को एक खतरनाक गतिविधि मानते हैं, जिसमें व्यवसाय शुरू करने से पूर्व मुख्य अग्निशमन अधिकारी से ''अनापत्ति प्रमाणपत्र'' प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।

दुकान एवं प्रतिष्ठान का पंजीकरण

प्रत्येक 10 से अधिक कर्मचारियों वाली दुकान या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मालिक को संबंधित राज्य श्रम विभाग से दुकान और प्रतिष्ठान पंजीकरण प्राप्त करना होगा। यह प्रक्रिया अब ऑनलाइन हो गई है।

प्रदूषण निवारण

भोजन पकाने की प्रक्रिया में निकलने वाले धुएं और खाद्यों की धुलाई–सफाई में निकलने वाले अपशिष्टों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य व्यवसाय को प्रदूषणकारी उद्योग माना जाता है। अतएव अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए, आपके खाद्य व्यवसाय को प्रदूषण लाइसेंस/प्रमाणपत्र या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रचालन हेतु अनुमति की आवश्यकता होगी। जिस श्रेणी के अंतर्गत आपको लाइसेंस की आवश्यकता होगी वह आपके व्यवसाय के प्रकार और प्रचालन के पैमाने पर निर्भर होता है।

श्रम कानून पंजीकरण

भारत में 20 से अधिक श्रम कानून लागू हैं। केंद्रीय श्रम कानूनों को एकीकृत करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक एकीकृत मजदूरी संहिता और एक सामाजिक सुरक्षा संहिता लागू की गई है।

उपरोक्त लाइसेंसों के अतिरिक्त, आपको अन्य लाइसेंसों की भी आवश्यकता होती है, जो खाद्य व्यवसाय के लिए विशिष्ट नहीं हैं, लेकिन आपके व्यवसाय में आपके द्वारा निवेशित अवसंरचना के अनुसार लागू हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, 500 KVA से अधिक क्षमता वाला डीजल जनरेटर लगाने के लिए विद्युत निरीक्षक से जेनसेट के पंजीकरण की आवश्यकता होती है।

जिन खाद्य व्यवसायों में डीजल, केरोसिन, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG), बॉयलर आदि के भंडारण की आवश्यकता होती है, ऐसी ज्वलनशील सामग्री की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक होने पर उनके लिए PESO से लाइसेंस की आवश्यकता हो सकती है। इन्फ्रास्ट्रक्चर लाइसेंस प्राप्त करने के तरीके के बारे में अधिक

जानकारी के लिए यहां PESO की वेबसाइट का लिंक दिया गया है। इसके अतिरिक्त, यदि आपने भवन में लिफ्ट स्थापित की है, तो आपको राज्य विद्युत निरीक्षणालय से लिफ्ट स्थापित करने के लिए लाइसेंस, और लिफ्ट को संचालित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होगा।

सिस्टम प्रमाणपत्र भारत के साथ–साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्वीकार्य हैं

उत्पादन के प्रत्येक स्तर से लेकर उपभोग तक उपभोक्ताओं और स्वास्थ्य अधिकारियों की ओर से उच्च स्तर की गुणवत्ता और सुरक्षा की अपेक्षाओं के साथ, सुरक्षा, खाद्य उद्योग का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कोई समस्या होने पर कारणों की शीघ्र पहचान करना और उनका तुरंत समाधान करना महत्वपूर्ण है। फलस्वरूप, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्य उद्योग में नियमों और कई प्रमाणपत्रों का एक व्यापक सेट मौजूद है, जो इसे विशिष्ट उपभोक्ता समूहों के लिए उपयुक्त बनाता है।

ISO 9001

- ISO 9001 अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त एक गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (QMS) मानक है। यह SGC में विश्व में अग्रणी है, जिसने विश्व भर में दस लाख प्रमाणपत्रों का आंकड़ा पार किया है।

ISO 22000

- ISO 22000, किसानों और पशुपालकों से लेकर प्रसंस्करणकर्ताओं तक पूरी आपूर्ति श्रृंखला के लिए खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों का एक अंतरराष्ट्रीय मानक है। इसमें अंतर्क्रियात्मक संचार, प्रणाली प्रबंधन और पूर्व अपेक्षित प्रोग्राम (PPR) सम्मिलित हैं।
- ISO 22000, आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित बनाने पर केंद्रित है, इसमें एकीकृत प्रबंधन प्रणालियों के सिद्धांत हैं और यह कोडेक्स एलिमेंटेरियस के HACCP सिद्धांतों और प्रबंधन प्रणालियों के अन्य ISO मानकों के साथ अनुरूपता में है।

FSSC 22000

- FSSC 22000 एक खाद्य सुरक्षा योजना है, जो ISO 22000, ISO 22002 और BSI PAS 220 मानकों पर आधारित खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन प्रणाली में पालन किए जाने वाले दिशानिर्देश निर्दिष्ट करती है।
- फ़ाउंडेशन फ़ॉर फूड सेफ्टी सर्टिफ़िकेशन ने खाद्य निर्माताओं के प्रमाणन के लिए UNE-EN ISO 22000 मानक और ब्रिटिश PAS 220 विनिर्देश के आधार पर यह प्रमाणन विकसित किया है।

खाद्य सुरक्षा के लिए वैश्विक BRC मानक

- खाद्य सुरक्षा के लिए वैश्विक BRC मानक एक प्रमाणन मानक है जिसमें कोडेक्स एलिमेंटेरियस के अनुसार HACCP (खतरा विश्लेषण और महत्त्वपूर्ण नियंत्रण) प्रणाली की अपेक्षाएं सम्मिलित हैं। यह मानक एक अभिलिखित गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के साथ सुविधाओं, उत्पादों, प्रक्रियाओं और कर्मियों की पर्यावरणीय दशाओं की अपेक्षाओं के नियंत्रण को भी कवर करता है।
- BRC को अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, और इसे वितरकों को खाद्य सुरक्षा के कानूनी दायित्वों का पालन करने और उपभोक्ता के लिए उच्चतम स्तर की सुरक्षा की गारंटी देने में सहायता करने के उद्देश्य से विकसित किया गया था।

IFS (अंतर्राष्ट्रीय विशेष मानक)

- IFS फूड एक सामान्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानक प्राप्त करने के उद्देश्य से तैयार किया गया था। इसके अंतर्गत, संसाधनों का अनुकूलन करने, और खाद्य तैयार करने की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता की गारंटी देने के लिए खाद्य निर्माताओं या फूड पैकेजिंग कंपनियों का लेखापरीक्षण किया जाता है। खाद्य वितरण क्षेत्र में खाद्य आपूर्तिकर्ताओं के लिए IFS और BRC दोनों प्रमाणन आवश्यक हैं।

Release Occasion

UP DISTILLERS' ASSOCIATION
INTERNATIONAL SUMMIT 2.0

Distilleries New Growth Engine

Global Summit - Exhibition - Networking - Awards - Celebrations

JULY | 28 - 29 | 2023

Hotel Centrum, Lucknow

Presented by

REGREEN EXCEL EPC INDIA PVT. LTD.

Powered by

TAYLORMADE RENEWABLES LTD.
Energy | Environment | Innovation

Natural Resource Biochem Pvt. Ltd.

Platinum Sponsor

GROUP
Packaging solution provider

iff
Where science & creativity meet

novozymes®
Rethink Tomorrow